

13.19½ hrs.

KERALA APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1965*

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Kerala for the services of the financial year 1965-66.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Kerala for the services of the financial year 1965-66."

The motion was adopted.

Shri T. T. Krishnamachari: I introduce the Bill.

13.20 hrs.

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL, 1965*.

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948."

The motion was adopted.

Dr. K. L. Rao: Sir, I beg to introduce the Bill.

13-20½ hrs.

RE: POINT OF ORDER

Mr. Speaker: There was another point of order of yesterday that we

had kept for today. We have already taken too long. We may take it up tomorrow.

13.21 hrs.

DELHI SECONDARY EDUCATION BILL—contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri M. C. Chagla on the 26th November, 1965, namely:—

"That the Bill to provide for better organisation and development of secondary education in the Union territory of Delhi, be taken into consideration."

The time allotted is four hours. One hour has been spent.

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करील-बाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों के बारे में निवेदन कर रहा था। इन स्कूलों में कई बार ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं और उनके परीक्षाघातों में अच्छे नम्बर भी प्राप्त होते हैं किन्तु उनको इसलिए फेल कर दिया जाता है कि उन्हें कुछ रीसा नहीं दिया। मैंने देखा है कि उनको रिपॉर्ट बुक में भी नम्बर लिख दिये जाते हैं और यह भी लिख दिया जाता है कि वे पास हैं किन्तु इसके बावजूद भी उनको फेल घोषित कर दिया जाता है। एक मेरे सामने जो कस धारा है उसको मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि प्राइमर रिपॉर्ट में कुछ और लिखा हुआ था फिर उसका काट कर और कुछ लिख दिया गया। जो पहले नम्बर लिखे हुए थे उनको काट कर दूसरे लिख दिये गये और उसके बाद जहाँ पास लिखा हुआ था वहाँ पर काट कर लाल स्याही से फेल लिख दिया गया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं

*Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part—II, Section 2, dated 29-11-65.

†Introduced with the recommendation of the President.

[श्री नवल प्रभाकर]

इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। एक केस में तो यहां तक हुआ कि प्राइंस रिपोर्ट ही उसको वापिस नहीं दी गई, विद्यार्थी को वापिस नहीं दी गई और उसके बारे में डायरेक्टर आफ एजुकेशन को लिखा गया, उसको कहा गया, चाँक कमिश्नर महोदय को कहा गया, किन्तु उस स्कूल के प्रबन्धकों ने—

Mr. Speaker: Just one minute. The time regularly allotted was four hours. That was for consideration and passing also. Now, it is only being referred to the Select Committee. The House can reconsider it; so much time would not be required.

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): Three hours will suffice.

Mr. Speaker: All right; three hours.

12.23 hrs.

[SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA in the Chair]

श्री नवल प्रभाकर : यह सब किया गया लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई और आज तक वह प्राइंस रिपोर्ट उस विद्यार्थी को नहीं दी गई।

जहां तक प्रवेश का सम्बन्ध है, दाखिले के वक्त भवस्था बहुत ही बुरी होती है। जिन स्कूलों का जरा भ्रष्टा नाम होता है वहां पर एडमिशन पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। नाम भी किस तरह से भ्रष्टा होता है यह भी देखने वाली चीज है। जो नीचे की कक्षा पास करके बच्चे धाते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट भी होते हैं, भ्रष्टे नम्बर भी जिन को मिले होते हैं, उन की वहां पर दुबारा परीक्षा ली जाती है और उनसे जो प्रश्न किये जाते हैं वे उससे धागे की कक्षा के प्रश्न किये जाते हैं। अगर वह उनको कर देता है और भ्रष्टा निकल घाता है तब तो उसको ले लिया जाता है वनां वे पगहों को खाली रहने देते हैं। उसके कारण

से उनके जो परीक्षा परिणाम होते हैं वे भ्रष्टे निकलते हैं। जब उन स्कूलों में अधिकांश लोग जाना चाहते हैं, सब लोग उन स्कूलों की तरफ दौड़ते हैं और यह समझ कर दौड़ते हैं कि वहां की पढ़ाई भ्रष्टी है रिजल्ट वहां का भ्रष्टा निकलता है, तो सुना ऐसा गया है कि वहां उन स्कूलों की तरफ से प्रवेश पाने के लिये एक एक विद्यार्थी से दो सौ रुपये से लेकर हजार दो हजार रुपये तक की मांग की जाती है और जो इस मांग को पूरा कर देता है उसके बच्चों को प्रवेश मिल जाता है। ये सब बातें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

मैंने प्रारम्भ में कहा था कि कुछ स्कूल तो मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त दोनों होते हैं और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो केवल मान्यता प्राप्त होते हैं। जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनमें जो फीस ली जाती है उसके सम्बन्ध में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनके सम्बन्ध में जो शिक्षा निर्देशक है वह देखेगा और देख कर तय करेगा कि कोई ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके ऊपर भी यह जो नियम है उसी प्रकार से लागू होना चाहिये जिस प्रकार से सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त पर लागू होता है। इसका कारण यह है कि जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं वहां पर मैंने देखा है कि दिल्ली प्रशासन जहां उनके बारे में यह तय करता है कि ग्यारहवीं क्लास की फीस अगर दस रुपये या नौ रुपये माहवार है तो दूसरे स्कूलों में तीस, पैंतीस, चालीस और पचास रुपये तक ली जाती है। अगर ये स्कूल भी चाहते हैं कि इनको मान्यता मिले, अगर ये चाहते हैं कि दिल्ली प्रशासन इनको मान्यता प्रदान करे तो ऐसी भवस्था में उनके ऊपर भी इस विधान के अनुसार वे सब धारायें लागू होनी चाहियें जो कि सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होती है। ऐसा अगर

नहीं होता है तो उनको मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि इस पर भी प्रवर समिति ध्यान दे।

विधेयक को देखने से ज्ञात होता है कि सारे अधिकांश शिक्षा संचालक या शिक्षा निर्देशक या जो डायरेक्टर प्राफ एजुकेशन हैं उनमें निहित कर दिये गये हैं। जो डायरेक्टर प्राफ एजुकेशन है वह जो उनके मातहत हैं, उनको अधिकांश दे सकते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि अधिकांशों का दुरुपयोग भी हो सकता है। जहाँ मैं एक तरफ मान्यता-प्राप्त और सहायता-प्राप्त स्कूलों की बात कहता हूँ वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टर प्राफ एजुकेशन को जो इतने अधिकांश दिये हुए हैं कि जिस स्कूल की वे चाहें मान्यता समाप्त कर सकते हैं, जिस स्कूल की चाहें सहायता बन्द कर सकते हैं, जितनी भी सजा देना चाहें दे सकते हैं, वह ठीक नहीं है। मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है। जब आप यह कहते हैं कि कोई संस्था अगर स्कूल बनाती है तो उसकी एक कमेटी हो तो मेरा निवेदन है कि दिल्ली के संसद् सदस्यों की एक समिति होनी चाहिये जो समय समय पर मिले और उस के सामने जो इस तरह के मामले हैं, इस तरह की संस्थाओं के जो मामले हैं या ऐसे स्कूलों के मामले हैं जिनकी कि मान्यता समाप्त की जाने वाली हो या जिनके ऊपर कोई जुर्माना किया जाने वाला हो या जिनको कोई किसी प्रकार की सजा दी जाने वाली हो या उनकी सहायता समाप्त की जाने वाली हो, ये जायें और वह इन सब मामलों को देखें और देखने के बाद घणना निर्णय दे। एक ही व्यक्ति को अगर ये सब अधिकांश दे दिये जाते हैं तो कुछ लोग यह कहने लग सकते हैं और साधारणतया यह बात होती भी है, जब एक व्यक्ति के भ्रन्दर सभी अधिकांश निहित कर दिये जाते हैं, कि किसी द्वेषवत्त यह ऐसा कर रहे हैं यह द्वेषवत्त जुर्माना कर रहे हैं। धाम तौर पर यह कहा

जाता है और हम सब इसको जानते भी हैं कि चूँकि उनको कोई द्वेष था या इस तरह की कोई दूसरी बात थी इसलिए उस संस्था के साथ उन्होंने ऐसा सलूक किया है या धमक अधिकांशों जो था, वह इतने पैसे की मांग कर रहा था और चूँकि उसको इतना पैसा नहीं दिया गया, इस वास्ते वह इस स्कूल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। यह भी सुनने में आता है कि उनको यह कहा जाता है कि इतना पैसा दो, तब तुम्हें मान्यता मिलेगा और सहायता का इतना रुपया तुम्हारा बनता है और उसमें हमारा इतना कर्माशन होगा और अगर हमें इतना कर्माशन दे दिया जाएगा तो हम तुम को इतना रुपया देंगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो लांछन हैं इनसे डायरेक्टर प्राफ एजुकेशन बच जायेंगे अगर ये सब मामले उस समिति के सामने जायें और वह इनको देखे। इस समिति की अगर इन मामलों में सहमति ले ली जाए तो ज्यादा धक्का होगा। मैं समझता हूँ कि मेरे इस सुझाव पर प्रवर समिति विचार करेगी।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने एक संशोधन दिया है। जो मेरा मूल संशोधन था उस में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। पहले 28 फरवरी था। अब मैंने प्रागामी सब का पहला दिन कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इसको भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

"That in the amendment moved by me, printed as No. 57 in List No. 7 of amendments, for reference of the Bill to a Joint Committee—

for "by the 28th February, 1966" substitute "by the first day of the next session". (58)

Shri Barrow (Nominated—Anglo-Indians): I want to oppose the amendment. I am on the Joint Committee. So, it is only at this stage that I can oppose this amendment. I will not get an opportunity to speak later on.

Mr. Chairman: You mention your opposition if you speak.

श्रीमती लक्ष्मीबाई (शिकाराबाद) : समाजित नहोदय, मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर साहब को बर्खास्त देना चाहती हूँ कि वह ऐसा अच्छा रिजल्ट लाये हैं लेकिन एजुकेशन के प्राइवेट स्कूलों के निवेशकों को जो खराबियाँ हैं उनको दूर करने के लिये, लेकिन आज भी प्राइवेट स्कूलों का रेजल्ट जितना अच्छा होता है उतना गवर्नमेंट स्कूलों का नहीं होता। आज प्राइवेट स्कूलों को एजुकेशन वाले लोग नहीं चनाते हैं। दिल्ली में जो भी इत तरह के स्कूल चलते हैं उनको लोग अपने व्यापार के लिये चनाते हैं। ऐंज जो भी स्कूल हैं उनको व्यवस्था ठीक नहीं है। जो भी उसको चनाता है वह विद्यार्थियों को दिक्कतों का कोई खाल नहीं करता है। वहाँ पर न तो ठीक से बैठने की जगह होती है और न दूसरी कोई सुविधाएँ होती हैं। इन तमाम चीजों का देखने के बाद हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत प्रकटा काम उठाया है वहाँ की डिफिकल्टीज को दूर करने के लिये।

इस विषयक में स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये नई बहुत जोर दिया गया है आज ही टोचर्स को सैनरी और दूसरी सुविधाएँ देने के लिये भी बहुत जोर दिया गया है। यह नहीं है कि टोचर्स को आज बहुत कम सैनरी मिलती है। उन बेतारों को बहुत मेहनत कराने पड़ती है। पाठ पढ़ाने में से पांच घंटे ही उनके बच्चों के साथ ही काही मेहनत करनी पड़ती है फिर उनकी पूरी आपत्तियाँ नहीं मिलती हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, जिहास मत कर यह है कि जब किसी को कहीं पर कोई दूसरा काम नहीं मिलता तो टोचर्स का काम करना है। स्कूलों में काम लेने के लिये ईंट बाँधना है। आज एजुकेशन को ऐसी हालत हो गई है कि उन बेतारों को हमारे धन का रोकना नहीं मिलता है। वह लोग पड़े लिबे होते हैं, ट्रेनिंग किये होते हैं लेकिन

जिनको सैनरीज उनको मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती है। जो दूसरे मामूली प्रेजेंट्स होते हैं जिनकी कोई टैकनिकल गिखा नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं होती उन के प्रेजेंट्स को प्राप देखिये। चूँकि यह बिल दिल्ली के सम्बन्ध में है इसलिये मैं दिल्ली की बात करती हूँ। दिल्ली के अन्दर दूसरे डिपार्टमेंट्स में मामूली प्रेजेंट्स का जो रेट है वह 210 रु० से शुरू होता है और 5:5 रु० तक जाता है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टोचर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट्स भी होते हैं और ट्रेड भी होते हैं उनका रेट 170 रु० से 380 रु० तक का है। दो सान की ट्रेनिंग करने के बाद भी उनकी सैनरी इतनी ही है। इसी तरह से जिस प्रकार दूसरे महकमों में होता है, टोचर्स की जल्दी जल्दी तरकीबों या पे का इंकीमेंट भी नहीं होता है। जबकि दूसरे महकमे का प्रेजेंट 2,000 रु० से 3,000 रु० तक पढ़ता है। टोचर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ रहते हैं। इस वास्ते आज अच्छे टोचर्स मिलने का यहाँ पर मौका नहीं है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनको सैनरी भी ज्यादा और सुविधाएँ भी ज्यादा होती हैं लेकिन जो टोचर्स हैं उनकी सैनरी कम, सुविधाएँ कम और काम ज्यादा होता है। इसी लिये आज अच्छे टोचर्स नहीं मिलते हैं।

जो लैंग्वेज टोचर्स होते हैं उनकी तो और भी बुरी हालत है। जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनकी इज्जत ज्यादा होती है और उनकी सैनरी भी बढ़ कर जाती है। हिन्दी, तेलगु या दूसरी बर्नाकुलर एग्जामिनेशन्स के जो रिजल्ट होते हैं उनकी हालत अंग्रेजी वालों से बदतर होती है। इसीलिये सेक्रेटरी एजुकेशन में केन होने वाले लड़कों में ज्यादातर परसेन्स बर्नाकुलर में फेल होने वालों का है। इन टोचर्स के लिये कोई मान्यता नहीं है। चूँकि यहाँ की भाषा हिन्दी है इसलिये मैं हिन्दी के लिये बोल रही हूँ। दूसरे लैंग्वेज टोचर्स का भी यही हाल है।

गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वगैरह उन में काम करने वाले लोगों को गारण्टी है कि उनको गवर्नमेंट हाउसेज मिलेंगे। लेकिन टोवरों को कोई मकान मिलेगा ऐसा कोई प्राविजन दिल्ली में नहीं है। दूसरे महकमे नांगों के लिये भी प्राविजन है इसलिए जरा मार कर उनको मकान देना पड़ना है। किसी भी महकमे में देश बोलिये कि क्या लगा रहता है और सालों साल में नम्बर घाने हो मकान मिल जाता है। टोवरों के लिये ऐ सोमांशे गन, सैन्टरी और तरफकी हो कोई गारण्टी नहीं है और प्राइवेट स्कूलों में तो बिल्कुल दो नहीं है। इन सब बातों के लिये यह जो बिल प्राग है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देती हूँ।

मैं प्राइवेट स्कूलों के लिये नहीं लेकिन प्राथम तौर पर यह सुझाव देना चाहती हूँ कि एजुकेशन के लिये एक प्राथम बंधिया सर्विस होनी चाहिये।

इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में लड़कों की एजुकेशन भी होती है और लड़कियों की भी होती है। इस के सिस्तेम में बहुत सी बांटे ऐसी हैं जिन को मैं यहाँ ब्रुन्सम खुलना नहीं कहना चाहती लेकिन फिर भी इतना कहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लड़कियों की एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा तदज्वह नहीं दे रही है। इस बारे में सन् 1960-61 में नेशनल कीसिल प्राथम बंधिन्स एजुकेशन ने भी लिखा, इसी तरह से कई और लोग भी बहुत सी बातें कहते हैं, जो हमारे एजुकेशन कमिशन के रिपोर्ट हैं बहुत बहादुर और तजुर्कार, श्री जे० वी० नायक, वह भी कहते हैं कि लड़कियों की एजुकेशन का परसेन्टेज बहुत कम है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह जो बिल लाया गया है इस में गलत एजुकेशन का खयाल क्यों नहीं रखा गया है। बस एजुकेशन को

एक सेंट्रल सर्वेक्ट बनाया जाना चाहिये। जब तक यहाँ पर प्राप के अधिकार में यह सर्वेक्ट नहीं होगा तब तक यह काम प्रापे नहीं बढ़ सकता है। प्राप प्राप देखिये कि इका पुनिवसिटी में क्या हो रहा है, बनारस पुनिवसिटी में क्या हो रहा है। क्या प्राप नहीं जानते हैं कि जो मातायें पढ़ा लिखी नहीं होती हैं वे अपने बच्चों को कैसे पछा बनायेगी। हम हमेशा सुनते हैं कि जहाँ फोड़ा हो वहाँ दवा लगा दो। अगर दवा न लगा कर बीटा ही छोड़ दोगे तो सेप्टिक हो जायेगा। इसी तरह से गलत एजुकेशन का खयाल है। उस को ठीक कर दिये तो तमाम खराबियाँ दूर हो जायेंगी। प्राप को मालूम होना चाहिये कि एक लड़कों के पढ़ने से पूरा खानदान एजुकेटेड हो जाता है जब कि लड़के के पढ़ने से सिर्फ पैतृ घरता है। प्राप कहते हैं कि गलत एजुकेशन स्टेट सर्वेक्ट है इस लिये वह बांग गलत एजुकेशन पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। स्टेट के शिक्षा अधिकारी केवल साब हो साब रुपये इस के लिये दे कर, लड़कियों की पढ़ाई को नजरअन्दाज कर देते हैं। लड़कों के घर वाले भी इस पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। लड़कियों के एग्जामिनेशनस के समय भी मा लड़कों को कहेंगी कि टॉप बनाओ व बेटे का बाली कि पढ़ा। इसलिये लड़कियों की एजुकेशन के लिये घर में भी कोई सद्गुणियत नहीं मिलती है।

स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के लिये भी तदज्वह बहुत कम की जाती है। थोड़ा बहुत ईता रखा दिया जाता है। नेशनल कीसिल प्राथम बंधिन्स एजुकेशन की रिपोर्ट के पेज 26 पर प्राप देखिये कि बहनें क्या कहती हैं। प्राइवेट स्कूलों के इन्स्ट्रुक्शन की 48 परक्यासमें प्राई भी बिल्डिंग बनाने के लिये। लेकिन

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

घ्राप को मानूम है कि उन में 47 एप्लिकेशनस के बारे में अलग अलग बातें लिखी हैं। आन्ध्र से दो स्कूलों के लिये कहा गया था उन में से एक के लिये लिख दिया प्रोफेस बेरी स्लो, दूसरे के वास्ते लिख दिया रिपोर्ट रिटल एग्जेटेड। सिर्फ एक दो क्लेज कंसिडर हुए। अभी कहा जा रहा था कि कोम्पारेटिव सोसाइटी में किम्बानों को काफ़ी सुविधायें और रीसा देने की बात कही जाती है लेकिन कानून ऐसा है कि रीसा मिलना मुश्किल है। कई कई साल हो जाते हैं लेकिन रीसा नहीं आता। उसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल है, बड़े तगड़े रुज हैं, वेदान्त पड़े हुए पंडित लोग हैं। वे हर चीज के दूसरे दूसरे माने निकाल कर दो, चार या पांच बार व सालों तक इतर से ऊपर फाइलें मंगाने रहते हैं। गलत एजुकेशन के लिये कानून बदलना चाहिये। उन को सन्सिडी आदि के रूप में रीसा दे कर होस्टल, स्कूल आदि बनाने को कोई सुविधा नहीं है। यहां पर हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, अरुतर लोग भी बैठे हैं उन्हें मेहरबानी कर के सही ढंग से काम कर के इस में मदद देनी चाहिए।

आज ऐडिक्लर को पढ़ाने के लिये एक आन्दोलन चल रहा है। जब भूखों मरने का मौता प्राया तब उध रोज घ्राप ने यह काम करना शुरू किया है। घ्राप को पता होना चाहिये कि स्कूलों में ट्रेन हो कर हर महकमे के लिये यहां से लोग जाते हैं। आज जो लोग पढ़ कर निकलते हैं वह काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिये एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को इन सब बातों पर पूरी नजर रखनी चाहिये। चूकि सब से अच्छी ट्रेनिंग घर में होती है इसलिये मैं घ्राप को सुझाव देना चाहती हूँ कि घर की लड़कियों

की शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिये। लड़कियों के स्कूलों के मैनेजमेंट को ठीक करने के लिये भी घ्राप को रुदम उठाना चाहिये। मैं घ्राप से अपील करती हूँ कि घ्राप को दिल खोल कर लड़कियों की शिक्षा के वास्ते प्रयत्न करना चाहिये।

श्री बासमीकी (खुर्जा) : लड़कों के स्कूलों के साथ साथ लड़कियों के स्कूल भी हैं और बहुत ज्यादा शिक्षा उन की हो रही है ?

श्रीमती लक्ष्मीबाई: पुराने टीचर्स के प्रति भावना यह होती थी कि कन्यायें टीचर को माताजी और गुडनी मानने वाली होती थीं। अब ऐसा नहीं होता। दिल्ली में स्कूलों में मैनेजमेंट ऐसा होता है कि दिल्ली के बड़े बड़े लोग उस पर असर डालते हैं और जिस तरह से चाहते हैं टीचर्स से अपना काम करा लेते हैं। यहां पर स्कूलों में टीचर्स के वास्ते मैं कहना चाहती हूँ, हर एक टीचर बन नहीं सकता है। जिसका होसला होता है, वही टीचर हो सकता है। गुड टीचर केवल लेडी हो सकती है, यह मैं दावे से कह सकती हूँ। जहां पर हेडमिस्ट्रेस औरत होती है वहां अच्छी व्यवस्था होती है। घ्राप लेडी टीचर्स के वास्ते मौका दीजिए। आज कल लड़के तो आई० ए० एम० बन सकते हैं, दूसरी नोकरियों में जा सकते हैं, औरतों को घ्राप टीचर्स रखिए। उससे एजुकेशन बढ़ेगी। लेडी टीचर्स का घ्राप ज्यादा ध्यान कीजिए। औरत जिस काम में लग जाती है, मन लगा कर उसे करती है, उसी में रहती है। पुरुष लोग पालिटिशियन होते हैं, स्कूल का काम छोड़ कर पालिटिक्स में पड़े रहते हैं। मैं घ्रापकी टिप्पणी के रूप में यह बातें घ्रापसे कह रही हूँ कि घ्राप एजुकेशन में लेडीज को ज्यादा

घौर प्राइमरी एजुकेशन पूरा बहनों के हाथ में दें। हर एक ग्रेड आफ दि हार्ड स्कूल 'एक लेडी बननी चाहिए।' पड़े लिखे नड़कों के लिए तो घौर बहुत से दूसरे विभाग है, आज कल तो कितना, ही फोल्ड वर्क उनके लिए है, माइन्स में इंजिनियर्स में साइंटिस्ट्स अन्य विभागों में कठों भी जा सकते हैं, कितने ही काम हैं जिनमें उनको भेज सकते हैं।

घापने यह जो सेकेंड्री एजुकेशन बिल रखा है उसमें सिलेबस भी है। सिलेबस तो बिलकुल बदलना चाहिए। मैं 25-30 साल का एजुकेशन में तजर्बी रखती हूँ। मैं घापने अनुभव के आधार पर कहती हूँ, मैं इन्टरव्यू लेती रहती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि यह सिलेबस बिलकुल हमारे काम में नहीं आयेगा। इसमें बहुत सी बदली होनी चाहिए। एजुकेशन को यह ढंग बदलना चाहिए। चेयरमैन साहब, मुझे थोड़ा समय घौर दिया जाय। मैं ज्यादा तो बोलती नहीं। कभी कभी बोलती हूँ, शायद सेशन में एक बार बोलती हूँ। इसलिए मुझे कुछ समय घौर दे दिया जाय। मैं बच्चों का इन्टरव्यू लेती हूँ, पूछती हूँ क्या करोगे, कहते हैं लिखेंगे, मैं पूछती हूँ कुछ काम नहीं करोगे, कहते हैं, नहीं करेंगे। आजकल घाट सीखने वाला बच्चा बिलकुल बुद्ध बन जाता है। ज्यादातर कुर्सी पर बैठ कर काम करना चाहते हैं, उससे हाथ पैर उनके बिलकुल तंग बन जाते हैं, वह बिलकुल नुसे बन जाते हैं। इमीनिए बापू जी ने बचपन के लिए जो बेसिक स्कूल रखे उनमें हाथ पैर हिनाना, घांख, कान नाक सब से काम लेना, सब काम करना होता है। उसके लिए ऐसे टीचर्स घापको चाहिए लेकिन ऐसे टीचर्स घापको मिलते नहीं घौर घाप भी इसके लिए सोचते नहीं।

एक घौर बड़ी डैजरस बात है। बच्चे सेकेंड्री स्कूलों में पढ़ते हैं, कई स्कूल

हार्ड स्कूल होते हैं। वहां स्कालरशिप्स मिलती हैं। घब उनमें से कुछ फारेन कन्ट्रीज में जाते हैं लेकिन वहां पी० एच० डी० वगैरह पढ़ने के बाद वह यहां वापस आना नहीं चाहते। मेरे सामने बंगाल वाले, हैदराबाद वाले आते हैं, कहते हैं यहां यूटैबिल जाब नहीं मिलता, इधर उधर फिरते हैं, जितनी सैलरी मांगते हैं, उतनी मिलती नहीं है, नतीजा यह है वह फिर वापस चले जाते हैं। कहते हैं इनने हमें यहां हमको नहीं देते, यह बिलकुल गलत बात है। वह वहां रहना अच्छा समझते हैं। एक मेरा दोस्त इंग्लैंड से आया था, बोला कि सिक्सटी परसेंट डाक्टर्स घौर इंडियन्स। यहां से वहां चले जाते हैं, फिर अपनी बीबी बच्चे भी बुला लेते हैं। क्या इसी लिए हम उनको यहां पढ़ाते सिखाते हैं, कि वह यहां से पढ़ें घौर फिर वहां चले जायें। यह बिलकुल गलत बात है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, होना तो यह चाहिए कि दूसरी जगह 2 हजार मिले, घापने यहां पांच सौ मिले या एक सौ ही मिले तो भी यहीं घापने यहां हमको काम करना चाहिए। यह पालिसी स्कूलों में सिखानी चाहिए। इतना खपया यहां एजुकेशन पर हम खर्च करते हैं, हजारों रुपये की घान्ट मिलती है, स्कालरशिप देते हैं, लेकिन हर महकमे से लॉग वहां भागते हैं। यह चीज गलत है। यह मेरा सुझाव है। मिनिस्टर साहब तो बहुत दिल खोल कर बैठे हैं, मगर काम कुछ बनता नहीं है। गम्स एजुकेशन में कुछ हो नहीं पाता है। जैसे मोटर में पेट्रोल नहीं है घौर उससे कहते हैं चलो, चलो तो मोटर नहीं चल सकती है, ऐसे ही हममें भी कोई काम नहीं बन रहा है।

समाप्त महोदय : घब घाप घापना बचाव घापना करिए।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : एक मिनट धीर ।

सभापति महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है । (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मीबाई : तो जो आपकी व्यवस्था है उससे मैं ऐसा मानती हूँ कि आपकी दिलवसी नहीं है गर्लस एडुकेशन में और जब तक आप गर्लस एडुकेशन को प्रचुर नहीं करेंगे तब तक छात्रों लेडी टीचर्स नहीं मिलेंगी और तब तक आपका काम ठीक चल नहीं सकता, उसमें बहुत मुश्किल आयेंगी । बुरेका ।

श्री बाबूजी (खुर्जा) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य महान प्रयत्न होता है लेकिन कभी कभी महान उद्देश्य भी असफल हो जाते हैं यदि उसके पीछे क्रियात्मक शक्ति न हो और एक बुद्धि विचार द्वारा उनके पीछे न हो । माननीय मंत्री जी जब से आये हैं वह शिक्षा पद्धति में, शिक्षा की धारा में परिवर्तन लाना चाहते हैं और एक नयी स्फूर्ति लाना चाहते हैं । उनके इस मन्तव्य का मैं स्वागत करता हूँ । किंतु जहाँ तक तीन पंच वार्षिक योजनाओं का सम्बन्ध है वह तीन पंच वार्षिक योजनाएँ समाप्त की घोर हैं । अब चौथी पंच वार्षिक योजना के अरण्य प्रारम्भ होने वाले हैं । मैं बड़े धैर्य से कहना चाहता हूँ कि विद्य-बुद्धि के अरण्यों में कोई उन्नति नजर नहीं आती है । मानवता की दृष्टि से महान उद्देश्य को ले कर हमारे बच्चों में, हमारे शिक्षा-शास्त्रियों में कोई इस प्रकार का महान उद्देश्य बड़ा दृष्टिगत अर होता है उसमें भूरे सन्देह होता है । मैं यह मानता हूँ, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा पद्धति की जड़ है लेकिन जहाँ जड़ में पुन लगा हो, जड़ में कमजोरी हो, वहाँ पूरे का पूरा शिक्षा का ढांचा खड़ा

नहीं हो सकता है, उसमें मजबूती नहीं आ सकती है । यह मैं मानता हूँ कि जैसा कि इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ प्रोपोजिचंस एंड रीजन्स में कहा है :

"In recent years the unsatisfactory working and management of a number of private secondary schools in the Union territory of Delhi have been subjected to a great deal of adverse criticism. These have been mainly in respect of (i) violations of executive instructions regarding timely payment of salaries to teachers, (ii) failure to create a Reserve Fund, (iii) recruitment of teachers with lower than the prescribed qualifications, (iv) unauthorised borrowing of money from the Pupils' Fund by the managements of schools, and (v) collecting compulsory donations to meet the managements' share of the maintenance expenditure of the schools."

यह बात ठीक है कि जब भी कोई घोषारोपण की बात आती है तो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स पर जो भी संस्थाओं की धीर से चलाये जाते हैं या किसी भी प्रकार से चलाये जाते हैं उन पर यह घोषारोपण किया जाता है । लेकिन घोषारोपण की दृष्टि से भी आप देखें तो उसमें उतना तथ्य या सत्य नहीं मिलेगा जितना कि यहाँ दिखाया गया है । यह बात साफ है कि किसी भी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आप एक प्रकार से वह दबाव जो फौव्दीज के अन्दर दिखाई देता है वह यहाँ सार्वभौमिक, ती उसके अन्दर आप उतने सफल नहीं हो सकते हैं । शिक्षा का एक उद्देश्य है, शिक्षा की एक महानता है, शिक्षा का एक मन्तव्य है, शिक्षा का एक दृष्टिकोण है और उसके अन्दर शिक्षक और शिक्षार्थी के अन्दर एक सद्भावना होनी चाहिए । उनका आपस के व्यवहार में एक सम्बन्ध होना चाहिए । सरकार

को चाहिए या इन वर्षों के बीच में वह कोई ऐसा काम करती कि जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो दूरी घा रही है वह कम होती और इस से वह पास पास घाते । हम देखें कि शिक्षा का उद्देश्य दूसरा ही होत जा रहा है ।

जहां तक हमारे टीचर्स का सम्बन्ध है, वह घाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन के धन्दर उदासीनता है हमारे विद्यार्थियों में भी उत्साह नहीं है । जो घाज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता घा रही है उसका जहां घोरों पर बड़ा उत्तरदायित्व है, वहां मैं उसके लिए रक्षा को भी उत्तरदायी मानता हूं । उर को जो घपना पार्ट घदा करना चाहिए या वह उसमें बर्ही किया है ।

जैसा कि मैं ने कहा इस क्षेत्र में मानवता की दृष्टि से असमानता और विषमता विद्यमान है, उसको दूर करने के लिए सिर्फ कोई यत्न नहीं किया गया है । यहां पर कानवेंड्स में शिक्षा दी जाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जो कि ऊंचे दरजे के हैं, जो कि दूसरे घमों की संस्थाओं के द्वारा चलाये जाते हैं, जहां शिक्षा पर बड़ा खर्चा होता है, वहां विषमता नजर घाती है । देश के धन्दर अब हम समाजवाद को घावना लाना चाहते हैं, समाजवादी डांषा खड़ा करना चाहते हैं, और समाजवाद को मानते हैं, तो घाज इस प्रकार के विधेयक से उस उद्देश्य में घाप किस प्रकार रुफ्त होंगे । देखते तो घाप शिक्षा के क्षेत्र में विषमता और असमानता बड़ा रहे है, घटा नहीं रहे है ।

घाज घाप प्राइवेट स्कूलों में जीवन पास चाहते हैं और उनके प्रबन्ध में

हाल देने के लिए घाधिकार इस विधेयक में रखना चाहते हैं । वैसे घाप देखें कि घाज भी जो प्राइवेट स्कूल है, जिनको कुछ संस्थाप या कुछ ब्यापत चलाते हैं, या जिनको कुछ प्रत्य प्रकार की संस्था में चलाती है, उनको रिक्रान्शिन देने के लिए या किसी प्रकार की सहूलियत देने के लिए रूफ्त हैं और उनके प्रबन्ध में दखल देने की घापके घाधिकारियों को शक्ति है । मैं नहीं समझता कि घाज घाप उर को कौन भी नहीं शक्ति देना चाहते हैं और कौन सा नया उद्देश्य प्राप्त कराना चाहते हैं । घाप इतने बर्ही तक रुफ्त होंगे मैं नहीं कह सकता ।

मेरे मरितरक में यह बात बिसकुल साफ है कि घाज चाहे राजा हों या रंघ हों, घमीर हो या गरीब हों, सब के बच्चे समान दृष्टि से शिक्षा पावें, और ऐसे स्कूलों में जाएं जहां कंटी इतर प्रतीय न हो । मैं जानता हूं कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी क उप मंत्री जी के, जो कि यहां बेंडे हैं, और दूसरे जो मंत्रिगण हैं और राज्यो के मंत्रिगण हैं, उनके सबके ऊंची शिक्षा संस्थाओं में पढ़ते हैं जिनको इरसे सम्बन्ध नहीं है । उन प्रस्थाओं में वे जाते हैं जिनके पास वैसे की बर्ही नहीं है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा में जो विषमता नजर घा रही है उसको दूर करने के लिए वह क्या रहन करते हैं । उसकी घोर मैं उनका ध्यान घाकर्षित करना चाहता हूं, इस दृष्टि से कि घाप उस उद्देश्य को समझें ।

प्राचीन काल में हमारे गुच्छुन की शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की थी कि संघीपन दृष्ट के दृच्छुन में भगवान रुफ्त और दीन मुदामा समान रूप से पढ़ते थे । उनमें कोई धन्दर नहीं था, लेकिन घाप के जो ऊंचे दरजे के स्कूल चल रहे हैं, चाहे वे देहरादून में हों या इरगहावाद में हों, जो कि बहुत ऊंचे स्टेण्ड के

[श्री बाल्मीकी]

६ उनमें मामूली धादमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। उस के लिए ध्राप ने कोई रास्ता पैदा नहीं किया है, जैसा कि ध्राप को करना चाहिए था।

मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री का सड़का, राष्ट्रपति का पोता और एक मामूली सफाई करने वाले भाई का बच्चा समान रूप से विद्या हासिल करें और अपनी विद्या का बल प्रदर्शित कर सकें। अगर ऐसी व्यवस्था लाने वाला कोई विधेयक ध्राप सदन के सामने लाते तो मैं उसकी प्रशंसा करता।

मैं जानता हूँ कि ध्राप यह सोचते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन घाना ही चाहिए। हम उससे इन्कार नहीं करते। जहाँ प्रबन्ध दूषित है उसको ठीक करना ही चाहिए।

सरकारी स्कूल हमारे सामने हैं। ठीक है कि सरकारी स्कूलों की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। लेकिन उनमें दो दो कमरे दोनों शिपटों के प्रिंसिपलों ने घेर रखे हैं और बच्चे इधर उधर बठते हैं। इस और ध्यान देना चाहिए। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो डाइरेक्टली एजुकेशन डाइरेक्टोरेट द्वारा संचालित होते हैं। जहाँ तक उनके प्रबन्ध और रिजल्ट का सम्बन्ध है, मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि उन से प्राइवेट स्कूलों की दशा कहीं ज्यादा अच्छी है। इसका कारण यह है कि जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक हैं उन के ऊपर निगाह रखी जाती है, उनको थोड़ी सी चेतावनी भी दी जाती है। ध्राप की तरफ से जो कुछ होता है, हम यह नहीं चाहते कि वह न हो। ध्राप देखें कि ध्राप के जो हायर सीकंडरी स्कूल चल रहे हैं उनके रिजल्ट 10 या 20 पर सेंट तक हैं पर ध्राप शिक्षकों को उसके लिए कुछ भी दंड नहीं दे सकते, न तम्बीह दे सकते हैं। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का सम्बन्ध है, उनका रिजल्ट 60 पर सेंट है, 70 पर सेंट है, 80 पर सेंट है और यहाँ तक कुछ का रिजल्ट

90 पर सेंट भी है। मैं नहीं समझता कि ध्राप इन में किस तरह से अन्तर लाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं ?

ध्राप कहते हैं कि वहाँ पर कुछ गलत तरीके से फीस ली जाती है। ठीक है, लेते हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएँ भी हैं जो कि बहुत कम फीस लेती हैं। मैं स्वयं एक ऐसी शिक्षा संस्था से सम्बन्ध रखता हूँ। यह मामूली लोगों का स्कूल है और इसमें जैसा हम को आदेश है हरिजन बच्चों से बहुत कम फीस ली जाती है। उसके अलावा और कोई फीस नहीं ली जाती है। ऐसे स्कूल हो सकते हैं जहाँ भवन निर्माण की दृष्टि से या दूसरे कामों के लिए पैसा लिया जाता हो। वह बन्द होना चाहिए। उसको ध्राप रोक भी सकते हैं। लेकिन ध्राप देखें कि ध्राप के अपने स्कूलों में भी बाइबल फंड है, गेम्स फंड है, लाइब्रेरी फंड है, मैडीकल फंड है। इस प्रकार के अनेक फंड हैं। ध्राप ठीक तरह से जांच करायें तो ध्राप को पता चलेगा कि इन फंड्स में से लाखों रुपये का गबन टीचर्स और प्रिंसिपल्स और यहाँ तक कि इंस्पेक्टोरेट के लोग भी मिल कर कर रहे हैं। लाखों रुपया धाये बैठे हैं। ध्राप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स पर दबाव दें, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तरफ मैं ध्राप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

ध्राप का उद्देश्य है कि जो डाइरेक्टर ध्राप एजुकेशन हैं उनको और अधिकार दे दिये जायें। ध्राप चाहते हैं कि उनको अधिक अधिकार की शक्ति से सुसज्जित कर दिया जाये। मैं मानता हूँ कि आज जो हमारे शिक्षा के डाइरेक्टर महोदय हैं वह एक बड़े शिक्षा-शास्त्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से ध्राये हैं। वह बल लगाकर इन बीमारियों को दूर करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह मानने वाला हूँ कि किसी प्रशासक को अधिक

प्रतिकार देने से उनका दुरुपयोग हो सकता है और होता भी है।

मैं धर्म कर देना चाहता हूँ कि प्रवर समिति को विशेष रूप से इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो संस्थाएँ इन स्कूलों को चलाती हैं उनके प्रबन्ध में किस तरह सुधार किया जा सकता है। मैं इस धोर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूँ कि जो प्रबन्ध कमेटियाँ हैं उनके प्रन्दर डाइरेक्टोरेट का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो देख सके कि क्या होता है और उनके काम में दखल दे सके और राय दे सके। वह परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है।

जहाँ तक इस बिल के उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं उसको ठीक समझता हूँ। श्री नवल प्रभाकर जी ने कहा है कि इसको प्रवर समिति को दे दिया जाये और वह पहली फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दे। मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट देने की तारीख 27 फरवरी कर दी जाये क्योंकि इसमें गवाह धादि धायेंग, यह ऐसा विषय है जिस पर बहुत से लोग गवाहियाँ देना चाहेंगे। इसलिए थोड़ा सा समय बढ़ाना उचित प्रतीत होता है। इस धोर मैं धाप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मैं चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा को बल देने के लिए और विशेषकर जो प्राइवेट स्कूल चलाये जा रहे हैं उनमें शक्ति लाने के लिए जो हाना चाहिए उसे धाप पूरा करें। फिर भी अगर वे उन बातों को पूरा न करें, वे उस तरह फट डकट्टा न करें, और वे उन उद्देश्यों और नियमों को पूरा न करें, तो उन को रिकॉगनीशन (मान्यता) नहीं मिलनी चाहिए।

14 hrs.

मान्यता प्राप्त एडिड स्कूलों पर ज्यादा बॉन्ड नहीं बढ़ाना चाहिए। 95 परसेंट रुपये सरकार देती है, लेकिन वह रुपये इतनी देती है, इतना बंध और बरेखान कर के मिचठा है

कि बड़ी दिक्कत होती है। 5 परसेंट से हम ग्रीचंड की पे को पूरा नहीं कर सकते हैं। सरकार इस विषय में एक नया कदम उठाना चाहती है, इस का हम स्वागत करते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि किसी प्रकार के ज्यादा दबाव से काम नहीं बनता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मन से, हृदय से, सद्भावना से जितनी सफलता मिल सकती है, उतनी धन्यथा नहीं मिल सकती है। सरकार को विशेषकर शिक्षक और शिक्षाधियों के बीच में समन्वय लाने, शिक्षा के क्षेत्र में एक जीवनदायिनी भावना को उत्पन्न करने और शिक्षा का स्टैंडर्ड ऊंचा करने का यत्न करना चाहिए। यह मंत्रालय जिस उद्देश्य से काम कर रहा है, उस के पूरा होने पर उस का प्रभाव देश के दूसरे भागों में भी होगा।

मैं चाहता हूँ कि इस में परिवर्तन घाना चाहिए। इस के कलेवर से मुझे बहुत संतुष्टि नहीं है। यह एक प्रकार का बॉन्ड और दबाव है। अगर इस को हटा दिया जाये, तो इस में बहुत सुन्दरता आ सकती है। उस सुन्दरता का गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि विद्या में सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की भावना होनी चाहिए और सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की भावना वहाँ होती है, जहाँ सहृदयता होती है, हृदय में उच्च स्थान होता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को फिर धन्यवाद देता हूँ कि वह ऐसा विधेयक लाये हैं। इस में जो कमियाँ हैं, वे प्रवर समिति में दूर हो सकेंगी।

श्री रामेश्वरराजन्ध (करनाल)

धोम् वाचन्ते मुन्धामि,
प्राचन्ते मुन्धामि,
चञ्चुन्ते मुन्धामि,
श्रीराम् ते मुन्धामि,
तार्धाम् ते मुन्धामि,
पायुन् ते मुन्धामि,
मेढ्रम् ते मुन्धामि,
परिधांस्ते मुन्धामि

[श्री रामेश्वरानन्द]

सभ-पति महोदय, माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो विधेयक लाया गया है, उस पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए आप ने मुझे जो समय दिया है, उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूँ।

सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का पहले यह सांख्यिक पड़ेगा कि वह कौसा व्यक्ति चाहते हैं, शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति कौसा हो, क्योंकि शिक्षित और अधिशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों में कोई अन्तर होना चाहिए। जब तक वह शिक्षा का लक्ष्य यह नहीं रखते हैं कि शिक्षित व्यक्ति में अधिशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा कुछ विशेषता होना चाहिए, तब तक शिक्षा से कोई लाभ नहीं होने वाला है। एक तो शिक्षा में यह गुण होना चाहिए। कपड़े तो कोई भी पहन सकता है। सी, डेड सी, कपड़े में जिस प्रकार के भी कपड़े चाहिए, वे बन सकते हैं और कोई डाकु भी उन्हें पहन सकता है। शिक्षित और अधिशिक्षित का बंशधर्म में भी अन्तर करना पड़ेगा। यह कौन करेगा? यह कौसे पुष्टजन। आज पुष्टजन का इस बात की चिन्ता नहीं है। यदि किसी अध्यापक की श्रेणी के विद्यार्थी अनुत्सर्ग हो जाते हैं, तो उस का इस का कोई चिन्ता नहीं होता है।

रेलवे विभाग या किसी अन्य विभाग के किसी कर्मचारी से यदि कोई काम बिगड़ जाये, तो उस से अबाध तलब होता है, उस से पूछा जाता है। किन्तु यदि सरकार के किसी अध्यापक के बालक उच्चतम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो क्या सरकार उस का बतन काटती है? उस के लिए क्या दंड है? मुझे इस बात का पता है कि बहुत से सरकारी स्कूलों के अध्यापक श्रेणी में बालकों को उचित रूप से नहीं पढ़ाते हैं और फिर बालक को कहते हैं कि बड़भा, अपने दादूजी को कहना कि हम को यहाँ समय बाड़ा मिलता है, इसलिए हम बर धर कर दूखन पर पढ़ावेंगे।

यह ठीक है कि इस प्रकार मातदार के लड़के पास हो सकते हैं, किन्तु क्या गरीबों, निर्धनों और देहातियों के लड़के पास हो सकते हैं? मैं आप की सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रार्थियों के बालक, चाहे हरिजन हों और चाहे दूसरे हों, इस शिक्षा के आधार पर कभी भी अंग्रेजी पढ़े-लिखे माता-पिता की सन्तान या मुबाबला नहीं कर गते, क्योंकि उन्होंने अपने घर में अपनी भाषा सीखी है। स्कूल में जब माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ होती है, तो साथ ही अंग्रेजी बल प्राप्ति है। जिस के माता-पिता ने अंग्रेजी पढ़ी है, वह प्रारम्भ से ही "मदर" और "फादर" कहना सीखता है, लेकिन बेचारे गरीबों और देहातियों के बालकों ने तो कुछ सुना ही नहीं है, इसलिए या तो वे पास नहीं होते हैं और अगर पास होते हैं, तो तृतीय श्रेणी में पास होते हैं और मेरी समझ में तृतीय श्रेणी को हमारे यहाँ मृत्यु के उपरान्त भी कोई नहीं पूछता है। एक तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण बालक को अच्छे विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता है। अगर वह हायर सैकेंडरी की परीक्षा पास करने के पश्चात् नौकरी में जाना चाहे, तो नौकरी के लिये बुनने वाले पहले नम्बर लेते हैं और जिस गरीब के नम्बर नहीं होते हैं, उस को कोई नहीं पूछता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी को बिल्कुल समाप्त कर दे, जिस से यदि किसी बालक में कोई निबलतायें हैं, तो वह उन को पूरा कर के दूसरे बरस कुछ योग्य बन सके, ताकि उस को उच्चतम विद्यालयों में प्रवेश मिल सके, अथवा पेट भरने के लिए नौकरी मिल सके, नहीं तो देहातियों के बालक हठारों की संख्या में मरि-मरि फिरते रहेंगे।

इस के प्रतिरिक्त शिक्षा मातृ-भाषा में होनी चाहिए। अध्यापक का एक भी शब्द ऐसा न हो, जिस को उसकी मातृ भाषा में श्रवण न किया जाये। साथ सारे देश में हुई स्कूल और हायर सैकेंडरी का लख

भी चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि सारे देश में शिक्षा एक सी होनी चाहिए। प्राज कहीं हाई स्कूल चल रहा है और कहीं हायर सैकंडरी चल रहा है। मैं पूछता हूँ कि यह मानमती का स्वांग सरकार ने क्यों जारी रखा हुआ है। सरकार या तो हाई स्कूल रखे और या हायर सैकंडरी रखे। उस ने इस सम्बन्ध में जो भेद खड़ा कर दिया है, उस की प्रावण्यकता नहीं है। इस से बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही हैं।

शिक्षा का फल क्या होना चाहिए? मानव बनना शिक्षा का फल होना चाहिए। मानव बनने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो व्यक्ति का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से दीक्षित व्यक्ति क्या चोरी नहीं करते हैं, वह कीन सा कुकर्म है, जिस को वे नहीं करते हैं। तो फिर शिक्षा का क्या लाभ हुआ? दूसरों की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति का स्वास्थ्य भी उत्तम होना चाहिए। जितने लोग पढ़ते हैं, क्या सरकार उन का स्वास्थ्य उत्तम बनाती है? तीसरी चीज है विद्या। दिल्ली वार माननीय सदस्य, श्री वारियर, प्राचीन शिक्षा की बात कर रहे थे। श्री एन्थनी भी बहुत बोल रहे थे। क्या वे समझते हैं कि प्राचीन शिक्षा नहीं हूँनी चाहिए? इस बातव्यय में लिखा है कि जिन विद्यालयों के पास अपने भवन नहीं होंगे, हम उन को भी सहायता नहीं देंगे। मैं पूछता हूँ कि क्या शिक्षा के साथ भवन या यन्त्रों का कोई सम्बन्ध है। शिक्षा के साथ किस का सम्बन्ध है? शिक्षा के साथ सम्बन्ध है व्यक्ति के चरित्र, स्वास्थ्य और पढ़ाई का।

इसलिए सरकार द्वारा लगाया जाने वाला यह प्रतिबन्ध बड़ा अनुचित है। उसे इस प्रतिबन्ध को हटाना होगा। प्राज जो अल्पसंख्यकों के स्कूल हैं, उन को विदेशों से सहायता मिल रही है, उन के ऊंचे भवन होते हैं और सरकार भी उन को अधिक से अधिक सहायता देती है। जो स्कूल स्वीकृत नहीं है, अपितु सहायता प्राप्त है, वे सरकार के

मार्ग को सरल बना रहे हैं। सरकार उन का सिर-दरदं धरने ऊपर क्यों लेना चाहती है? यह ध्यय की बात है कि बूक किसी स्कूल के पास अपना भवन नहीं है, इसलिए उस को सहायता नहीं दी जायेगी। सरकार को माध्यमिक शिक्षा में अवश्य ही यह परिवर्तन करना पड़ेगा कि सब को एक-समान शिक्षा दी जाये। जब तक प्राप की शिक्षा में एक-समानता नहीं आती है तब तक प्राप कभी भी मनुष्य में समता नहीं ला सकते हैं। मैं मानता हूँ कि जिस के माता-पिता निर्धन हैं उनको इस युग में संतान को जन्म नहीं देना चाहिये। संतान को जन्म दे कर मैं मान लेता हूँ कि उनका एक धराराध हो सकता है। कारण यह है कि प्रयोग्य व्यक्ति ने एक संतान को जन्म क्यों दिया, जबकि वह उसका धरण-पोषण और पालन-पोषण और शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकता था। दूसरों के सिर पर ओनांद वह पैदा करे इसका उसको हक नहीं है। परन्तु मैं पूछता हूँ कि उसके माता-पिता की न्यूनता के कारण प्राप उसको माध्यमिक शिक्षा में प्रविष्ट कैसे नहीं होने देते हैं, उसका उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कैसे नहीं देना चाहते हैं जब कि वह इसके लिए हर प्रकार से योग्य है? उस बालक का धराराध क्या है? उसके माता-पिता का तो धराराध हो सकता है लेकिन उस बालक का धराराध नहीं हो सकता है। यह क्या बात हुई कि प्रापके प्रजातंत्र में वह प्रागे बढ़ ही न सके। निर्वन के बालक के लिए भी समानता प्राणी चाहिये। जो मैंने मंत्र पढ़ा था उस में यही विधान है। राजा से ले कर रंगतक, बीहंदार से लेकर राष्ट्रपति तक प्रत्येक के बालक को पढ़ने का समान अधिकार होना चाहिये। प्राज मासदार का बालक अछड़े से अछड़े विद्यालय में, शिक्षालय में जा सकता है क्योंकि उसके बाप ने पैसा इकट्ठा कर लिया है, बीहरी से या रिश्वत ले कर या जिन्दा और प्रकार से लेकिन एक निर्वन बाप का बालक नहीं जा सकता है अछड़ा बुढ़ि होते हुए भी,

[श्री रामेश्वरानन्द]

केवल इसलिए कि वह मासदार बाप का बेटा नहीं है। यह स्थिति भ्रष्टा नहीं है। मासदार का बालक सिकारिजी पास हो जाता है लेकिन निर्धन बाप का बालक नहीं हो सकता है। मासदार बाप का बेटा भ्रगर उसकी बुद्धि मंद भी हो तो भी वह प्रवेश पा सकता है परन्तु एक निर्धन का बालक भ्रष्टा होते हुए भी, उत्तम बुद्धि वाला होते हुए भी मां-बाप की निर्बलताओं के कारण प्रवेश नहीं पा सकता है, वह भागे विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। वह योग्य बन सकता है लेकिन योग्य बनने के लिए उसको साधन नहीं मिलते हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा में प्राचीनता लायें, शिक्षा में धर्म का प्रवेश करें। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि पुरानी रूढ़ियों को आप धर्म मान बैठें। रूढ़ियों को धर्म न माना जाये। धर्म वह है जो समता सिखाता है, जो मनुष्यत्व सिखाता है। मनुष्यत्व के लिए आप की शिक्षा में कोई स्थान हो। न केवल स्थान हो बल्कि उस मनुष्यत्व में अब तक बालक बालिकायें उत्तीर्ण न हों तब एक आप उन को प्रमाणपत्र न दें। यह तभी हो सकता है जबकि आप धार्मिक भावना लायें। धार्मिक भावना के बिना कभी कोई मनुष्य नहीं बनता है। जिस शिक्षा में यह नहीं है, जिस शिक्षा में यह सिखाया नहीं जाता है वह शिक्षा नहीं है।

हमारे मध्य धरम के बाहर सिखा हुआ है :

अर्थ मित्रः परोवेदि गणना सपुषेतता ।
उदारपरितामां तु वसुधं कुटुम्बकम् ॥

हमारी शिक्षा में यही हुआ करता था। हमारी शिक्षा में बालक को बता दिया जाता था कि तुम अपने जीवन में कभी दूसरे को हानि न पहुंचाना, रिश्तव नहीं लेना, खोरी नहीं करना, अत्याचार नहीं करना क्योंकि

क्या पता जिस के साथ तुम अत्याचार करने जा रहे हो मरने के पश्चात् तुम्हारा उसी धर्म में जन्म हो। भ्रगर ऐसा हुआ तो तु स्वयं उस अत्याचार से पीड़ित होगा। यह है मनुष्यता। यह है मनुष्यत्व धर्म। इस धर्म का समावेश बालक और बालिका की शिक्षा में होना चाहिये।

परन्तु आप तो यहां पता नहीं विज्ञान के नाम पर क्या-क्या कर रहे हैं। क्या विज्ञान कोई ऐसी वस्तु है जो केवल आप के विद्यालयों तक ही सीमित हो? विज्ञान भ्रन्त है और विज्ञान भी भ्रन्त है। इस वास्ते यह जो शिक्षा है वह भ्रष्टा है। उस में इधर उधर की बातें शिक्षा की बता दी जाती हैं, लेकिन मानव तू क्या है, मनुष्यता क्या है, जिस ने विश्व रचा है वह भी कोई है या नहीं है, इसका कहीं पर भी कोई प्रवेश नहीं है आपकी शिक्षा में, आपके विज्ञान में। इसको भी प्रविष्ट किया जाना चाहिये। हम भी कुछ हैं जो सारा चीज को जानने वाले हैं लेकिन जिस ने यह सारा बनाया है वह भी कोई है। इसके बारे में अन्वेषण होना चाहिये, इसके लिए विशेष शिक्षा दी जानी चाहिये और इसके लिए एक विशेष विभाग होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं भ्रष्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे इन सुझावों पर आप विशेष ध्यान दें। अल्पसंख्यकों के जो स्कूल हैं उन में बहुत अधिक फीस ला जा रही है और इसकी तरफ भी आप क ध्यान जाना चाहिये। वहां फीस भी अधिक है और सहायता भी आप अधिक दे रहे हैं। उसकी तरफ भी आप का दृष्टिपात होना चाहिये।

Mr. Chairman: Shri S. N. Chaturvedi.

Shri S. N. Chaturvedi (Ferozabad): Mr. Chairman, Sir....

Shri Bhakt Darshan: Can a Member of the Select Committee take part in this debate?

Mr. Chairman: It is a convention that a Member of the Select Committee does not normally speak. But he is not barred from speaking.

Shri S. N. Chaturvedi: I had given my name for speaking on this Bill prior to Shri Naval Prabhakar's amendment for referring this Bill to Select Committee came.

Sir, I would not have spoken on this Bill but I just stood up to say a few words because of a feeling that probably the Government does not attach the importance to this Bill that it deserves. I feel it is a very vital thing....

An hon. Member: That is for the Select Committee.

Shri S. N. Chaturvedi: Let me have my say. I would only take a few minutes.

I want to say that probably not sufficient importance is being attached to the Bill. I would have very much wished that the hon. Education Minister, despite his very heavy pre-occupations, should have been a Member of the Select Committee which is to go into this Bill.

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): I shall be there all the time. I will not be away even for a minute. My hon. friend should be sure of that.

Shri S. N. Chaturvedi: That was one of the points that I wanted to make.

There are certain very fundamental principles involved. Secondary Education is a stepping stone because if

we find a solution for most of the problems at this level, then some of the problems at the university level also will be solved automatically. There must not be too much obsession with the administrative aspect of it. We should concentrate our attention on more vital matters. I say this because I know the powers that are already enjoyed by the Department are sufficiently pervasive—of course, I will speak about them in the Select Committee—and just now I only want to point out that with these powers are still vested in the Department. How they have been used and whether effectively or otherwise are matters to be gone into.

Shri Man Singh P. Patel (Mehsana): Mr. Chairman, Sir, I would like to make some observations on this Bill. The hon. Minister of Education, Shri M. C. Chagla, is trying to amend so many legislations in the field of education at the primary, secondary and university level.

As far as my experience goes—I come from a well-known progressive State, call it old Bombay or new Gujarat, whatever it is—the secondary education there is considered to be the concern of the private management: Normally, the secondary education is left for the general public at large to be managed and looked after by the private management. A very few model schools—call them multi-purpose schools or the central schools at the district headquarters—are only retained by the Government and they are run as departmental schools.

The first observation which I would like to make is that, looking into the speech of the hon. Minister, there are about 50 per cent private schools in the Union Territory of Delhi and there are about 50 per cent Government schools. What is the ultimate object of the hon. Minister, till he is in-charge of Education, about these schools? Does he want that all Government schools should in future turn into privately-managed schools or

[Shri Man Sinh P. Patel]

trustee schools or does he want that, because there are so many loopholes and so many faults at the secondary education level, a stage may come whereby the Administration should take over many such schools? He also desires to create a model scheme of management in the Union Territory of Delhi. I am very enthusiastic to see this model scheme of management in the Union Territory which will ultimately be followed up by all the States where the higher secondary schools are being managed.

Therefore, when he has thought of giving a model scheme of management, I am much more enthusiastic about it. But I would like to know categorically from the hon. Minister whether, looking to the Constitutional provision of giving primary education or compulsory education upto the age of 14, which will hardly be reached by 1981, is it within the scope of the Government with whatever financial resources at its command to pervade the anticipated growth of secondary education, especially in cities like Delhi, Madras, Bombay, etc? Secondary education, no doubt, is a subject of the State Government and as far as the Union Territories are concerned, especially Delhi, the Centre is responsible. There is a feeling among the people that the Government is not in a position to give or is incapable of giving sufficient secondary education. Therefore, these private people—call them as teachers or some other people—take education as an exploiting source for earning their livelihood.

I was glad to hear from the hon. Minister the other day regarding the situation in Kerala in the past. We all know that the whole Communist Government of Kerala went out of power because of the well known Education Bill.

Shri Warior (Trichur): It was pulled down.

Shri Man Sinh P. Patel: It went out of office. Therefore, the feeling of the people at large is that education is a very vital subject. I am more concerned regarding the anxiety of the hon. Minister to improve the situation.

Shri Daji (Indore): The hon. Member wants this Minister also to be pulled out like that?

Shri Man Sinh P. Patel: No, I want to support him; I want to strengthen his hands. My only anxiety is whether the Minister, during the period he is in charge, can, with the financial resources at his command, cope up with the anticipated growth of secondary education or he will give a liberal hand for honest private management to survive and flourish. Before I go to the general clauses, I want to say that there are very few States which have allowed secondary education in private hands. There were mismanagements in private hands. Trusteeship managements are being evolved in his own State.

The hon. Minister was the Head of the judiciary and I would like to tell him that the Bill, as drafted now, does not look to the spirit which the hon. Minister has throughout his life envisaged in regard to drafting of legislation. The drafting here is very poor. By this drafting so many doubts will be created in the mind of the people who are running the management schools that the Administrator or the Department is likely to be given much more powers. Therefore, practically each clause requires to be re-considered and re-drafted.

I would now come to the definition of a 'Manager'. A Manager has been thought of for the private management committees. This is a new thing to me. I would like to see that the Management Committee as a whole is held responsible. No individual person in the name of a Manage

whether he is paid or unpaid, should be held responsible individually. The definition of a 'Manager' is a person appointed or deemed to have been appointed to be the manager. Therefore, this is something like saying that the whole secondary education can be managed by one person, who will be named as the Manager. This means that some paid person—not a philanthropist or a well-versed man who wants to serve the people—will create his own economic interests in the management of the institution. I will, therefore, urge that the Committee as a whole should be held responsible and this thinking of keeping one person and naming him as the Manager should be abolished outrightly.

Shri M. C. Chagla: There is no obligation to appointing a particular man. Clause 6 merely says that the Managing Committee may, subject to the approval of the Director, appoint any person. The Bill does not make it obligatory upon private schools to appoint a man. It is discretionary and is subject to the approval of the Director.

Shri Man Singh P. Patel: I am thankful to the hon. Minister for the explanation.

One special clause is meant for the whole management. The whole of Clause 6 speaks of only Manager. After all, it has some legal implications. In the Management Committee, say the Chairman, will be normally treated as the Manager; the honorary secretary himself will be nowhere; he will at the most be assisting the Chairman to run the institution. Therefore, there should be collective responsibility. I well understand the spirit of the Bill and I hope it will be amended accordingly.

Regarding Clause 3(1)(f), it is a very sound principle. A school is not likely to be recognised if it is named after a sector or caste. I fully endorse the underlying spirit. But

what is there in the name? We have well understood the position regarding the B.H.U. Bill. Some people, by putting the name as Hindu or Khalsa or Vaishya, could start a school, but now according to this Bill, it will be a legal terminology and if it is named after a sect or caste, it will ab initio not be recognised at all. Therefore, till you accept this in principle for all other educational institutions also, keeping it on record only here will indirectly harm the furtherance of education. That is my feeling.

Clause 3(d) says:

"its premises or any part thereof is used as a shop, an office or a residence unconnected with the activities of the school."

I appreciate the spirit of the Bill, but we should also take into consideration the fact that there has been a vast growth of education, but buildings are not available—there is dearth of buildings. There may be certain situations in which you have to recognize a school. I would not, therefore, like this condition to be retained here.

There is provision for appeal in regard to (f), but there is no such provision for (a) to (e). Sub-clause (2) of Clause 3 says:

"Where recognition to a school is refused on the ground of its being named after a sect or caste, the management of such school may appeal against the order...."

There is no provision for such an appeal for non-recognition of schools on account of (a) to (e). No doubt there will be departmental instructions, but certainly there will be some difficulties for the furtherance of education.

Let us go to sub-clause (3) of Clause 5. It says:

"The Managing Committee of every existing school shall, within fifteen days from the publica-

[Shri Man Singh P. Patel]

tion of the scheme of management under sub-section (2), prepare and submit to the Administrator a scheme of management for such school...."

I am afraid the period of fifteen days will not be sufficient. Normally a Management Committee has to call a meeting; then they will have to understand the scheme and then accept it. So the period of fifteen days is very insufficient for this purpose.

The whole Bill appears to have been hastily drafted. I do not want to go into further details except about one Clause, i.e., with regard to association of teachers with the Management Committee. I have a humble association with four or five secondary schools and with two colleges. With that experience I can say that that school is the best administered which is administered the least. I am of the opinion that there should be no interference of non-officials in the administration of the school, be it a curriculum, academic or even non-academic. It is very difficult to maintain healthy relations between the Management Committee and the teachers. Here it is not specified as to what is likely to be the number of Management Committee members. You have thought of this provision that the head of the school and two teachers should necessarily be associated. I personally feel that this much quantum will not be conducive to much progress or help for the management. This is not like labour legislation. Otherwise, normally the head of the school is always associated; and if there are worthy teachers, they may also be associated. But the working here is "and two other teachers thereof chosen according to seniority by rotation". In direct politics, bringing in teachers on the management committee may not be desirable. This may be a very good idea, and while creating the management committee, you can even keep—this much number, if the management committee's

member is large enough. But I am not sure whether, except having regard to the academic qualifications, in the administration a greater association of the teaching staff beyond the head of the school may not indirectly harm the interests of education.

Then I would like to go to clause 8, which is the worst part of the Bill according to me. Here is a provision whereby in a private school the Government is taking the powers to remove the manager, and that is after getting some explanation from him. It has never been conceived that in a recognised school, the management can ever be touched by the Government. The only thing they can do is non-recognition or not giving the grant. It is too high-handed a thing that Government are thinking of, namely, that simply because the school is recognised by the Government and the Government is giving it a grant, it can remove the manager. I do not think this power can ever be given in a well thought-out administration, and especially when secondary education is mainly to be left to the philanthropists or to the general people at large to manage their own education up to the higher-secondary level. And here you are creating a clause whereby you envisage the idea that a manager who has been appointed by the school can be removed by the Government. This will be too harsh a clause.

Then I come to clause 9(3) which provides that "the aid may cover either the full expenditure or such part of the expenditure of the school as may be prescribed". I do not mind the wording, but this will indirectly give a very liberal handle to the Government to make some special exceptions or discretions to give the full expenditure, by the Government. There should never be a grant to the full expenditure, if you want philanthropists to come forward and help in the cause of education, if the

spirit is to be retained. This is the only clause which is likely to be abrogated whereby people wanting to make some indirect exploitation, or for the economic resources, will go into the management and will try to create new schools wherever opportunities are available to them.

Then there is a provision in clause 11(2) which says that without the permission in writing of the Director, a teacher cannot be suspended. I can absolutely approve of other things, but these words "without the previous sanction in writing of the Director" should be removed. You know, we have got co-education, and there are so many moral-turpitude qualities of some teachers even in secondary education. The Managing Committee of the school need not wait for the concurrent sanction in writing of somebody else for this purpose. Suspension of a teacher is the inherent right of the managing committee. No doubt, for the confirmation of a suspension or later on any punishment, it may require the concurrence of the Department.

Shri Warrior: Moral turpitude may not be the monopoly of teachers alone.

Shri Man Sinh P. Patel: It may be of the management too.

I just now learn that the Bill is going to a Joint Committee. All the people who are concerned with secondary education are waiting for a redraft, for a new draft coming out from the Select Committee of a Bill which will give a general idea to all people about secondary education. We want a model scheme of management, and we want a model scheme about grants to be incorporated, of whatever percentage, by the Government. But I would like to say that the furtherance of secondary education is not within the reach, whatever it may be, of the Government, and it should be primarily left, as far as possible, in private hands.

14.35 hrs.

[SHRI SONAVANE in the Chair]

Mr. Chairman: Shri Kashi Ram Gupta.

श्री काशी राम गुप्त (असवर): समापति महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है और उसमें इस माध्यमिक शिक्षा की यह जो दशा है, यह इतने दिनों से चलती रही और मन्त्री महोदय इतनी देर से इस विधेयक को लाये इसका कारण समझ में नहीं आता। हमको स्वतन्त्र रूप तो 17-18 वर्ष हो गए और ऐसे विधेयक को बहुत ही जल्दी आना चाहिए था। किन्तु अधिक चिन्ता की बात यह है कि जो भी विधेयक लाया गया है उसमें अधिकतर बातें जो हैं वह प्रतिक्रियावादी हैं न कि प्रगति-शाली हैं। श्री बागसा जैसे मन्त्री हैं, और श्री भक्त दर्शन जैसे उपमन्त्री हैं और फिर भी यह विधेयक ऐसा पिछड़ा हुआ सामने आये यह आश्चर्य की बात है। यह बहुत अच्छी बात की है मन्त्री महोदय ने कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का निश्चय कर लिया है अन्यथा अभी अभी जो मुझ से पूर्व बक्ता बोल रहे थे वह ठीक ही कह रहे थे कि इस विधेयक का बहुत सो धाराओं के ऊपर आपत्ति हो सकती है।

समापति महोदय, मैं निवेदन करूँ कि आज के इस युग में यदि इस माध्यमिक शिक्षा को संस्थाओं के द्वारा चलाना है तो उनके बारे में पूरा विचार करना पड़ेगा। अधूरे विचार से काम नहीं चलेगा और उसमें देखना यह होगा सबसे पहले कि जो अर्थ उसमें आता है, जो धन उसमें एकत्र होना है वह किन दिशाओं से आवे। इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट विचार हमारा होना चाहिए। सब बरतारी की जड़ यह अर्थ ही होता है और यदि यह अर्थ के लाने का तन्त्र जो है वह विचारक या दूषित होता है तो सारा ढाँचा हमारा दूषित हो जाता है और इस विधेयक के जरिये से यह प्रकट नहीं किया गया कि वह अर्थ तन्त्र किस प्रकार का हमारा चलेगा।

[श्री काशी राम गुप्त]

दूसरी बात यह है, जो हमारे देश में भी कतिपय स्थानों पर है और जो विदेशों में भी चल रही है, वह यह है कि यह संस्था तभी चल सकती है जब इसमें अभिभावक जो हैं माता पिता जो विद्यार्थियों के हैं उनका सक्रिय योगदान हो और यदि प्रबन्ध समिति में प्राधे से अधिक वे लोग हों जो माता पिता हों, तो प्राप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ बल आ सकता है। माता पिता या अभिभावक जो हैं वह प्रतिनिधि के रूप में हों। मैं बता सकता हूँ, मेरा स्वयं का अनुभव है एक ऐसी संस्था चलाने का जिसमें डॉ. तिहाई जो प्रबन्धकारिणी के सदस्य हैं वह माता पिता हैं और चुने हुए होते हैं। पेरेंट्स प्राॅगॅनाइजेशन उस स्कूल के तहत होता है और वह पेरेंट्स प्राॅगॅनाइजेशन या माता पिताओं की जो संस्था है वह प्रतिनिधि चुनकर के इसमें भेजती है और वह प्रबन्धकारिणी जो चलती है उसमें एक दूसरा ही भाव आ जाता है।

इसके साथ साथ जो मुझ से पूर्व बक्ता ने कहा, मैं उसे मतमेंद रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो अध्यापक हैं उनके भी प्रतिनिधि उसमें होने जरूरी हैं और वह कितने हों यह बात दूसरी है।

तीसरी बात यह है कि जो दान दाता हैं उनके प्रतिनिधि होने जरूरी हैं। फिर कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति जो शिक्षा में विशेष रुचि रखते हैं जो उनके फाउण्डर मेम्बर बन सकते हैं या और किसी प्रकार से प्राजीवम सदस्य बनाये जा सकते हैं, उनका होना जरूरी है। ऐसी कोई भी प्रबन्धकारिणी यदि होगी और वह वैज्ञानिक ढंग से बनायी जायगी तो यह सारा बोधा चलेगा अन्यथा नहीं चलेगा।

इस विधेयक के जरिये से ऐसा लगता है कि यह मान कर चल रहे हैं कि दिल्ली के बन्दर जो संस्थाएँ हैं वह अधिकतर बेईमानी के आधार पर चल रही हैं और वह स्वार्थ-परता के आधार पर चल रही हैं अन्यथा कोई

भी संस्थाएँ जो सम्माननीय रूप से सेवा कर सके वह कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसे विधेयक के मातहत काम करे जो कानून बाद में बने और जिससे कि उनके ऊपर एक ऐडमिनिस्ट्रेटर की या डाइरेक्टर की तलवार लटकती रहे। इसमें ग्यारहवीं धारा में जो बात दी है वह भी बहुत ही अप्रतिजनक है। धारा 11 के दूसरे सेक्शन में लिखा है कि वह किसी को भी मुप्रतिल नहीं कर सकते हैं बिना मंजूरी के और न उसके दर्जे को घटा सकते हैं, न उसे हटा सकते हैं। तो नियुक्ति करने वाली तो प्रबन्धकारिणी हो और उसको हटाने के लिए डाइरेक्टर से अनुमति से, यह बहुत ही बेइंसी बात है और प्रतिक्रियावादी बात है। इसके स्पष्ट अर्थ यह होते हैं कि प्रापको विश्वास नहीं है उस प्रबन्धकारिणी की योग्यता में। अन्यथा यह उनका अपना काम है। ऐसा न करें तो फिर सरकार को ही सारी संस्थाएँ चलानी चाहिए, प्राइवेट स्कूल नहीं चलने चाहिए। लेकिन अगर प्राप प्राइवेट संस्थाओं को स्कूल चलाने देना चाहते हैं और साथ ही उनमें जो सम्माननीय व्यक्ति रहते हैं उन पर प्राप विश्वास नहीं करते यह बुरी बात है। हां यह हो सकता है कि उनके निर्णय की अपील हो सकती है। यदि किसी प्रबन्ध कारिणी के द्वारा किसी अध्यापक के मामले में अन्याय हो जाता है तो उसकी अपील को व्यवस्था होनी चाहिए। राजस्वान में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है कि यदि कोई संस्था अपने अध्यापक को हटाती है तो उसके लिए चारजोई की जा सकती है। लेकिन उनके अधिकार को समाप्त करने का तो यह अर्थ होता है कि प्राप उस संस्था पर विश्वास नहीं करते हैं।

दूसरी बात जिसके लिए दिल्ली में विशेष चर्चा है वह यह कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में खेलने कूदने के स्थानों का बड़ा कमी है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में सरकार का क्या रवैया है। इस मामले में संस्थाओं के

हाथ में कुछ नहीं है। इसकी जिम्मेवारी सरकार को अपने ऊपर लेनी होगी। यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह उन संस्थाओं के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अगर उसके बाध भों के संस्थाएं नियम या पालन न कर सकें तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाय।

जिसकी सुरक्षित कोप या रिजर्व फण्ड कहते हैं उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इस रिजर्व फण्ड के बारे में एक निश्चित नीति निर्धारित होनी चाहिए। अगर कोई स्कूल चलाना है तो वह इसका किस प्रकार एजेंट बन सकता है। आपको बताना चाहिए कि किस चीज में आपको आपत्ति होगी और किस में नहीं होगी।

आपने इसमें लिखा है कि फीस इत्यादि के लिए नियम बनेंगे कि उसके अधिक न हों। लेकिन मैं जानता हूँ कि अध्यापकों के वेतन की धम्री कोई श्रृंखला नहीं है। सारी दिल्ली में जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं उनके अध्यापकों के वेतन का एक सा स्तर बनाया जाना चाहिए ताकि सब को समान वेतन मिले। समान योग्यता के लोग हैं आज उनका दिल्ली में किसी संस्था में कुछ मिल रहा है और किसी में कुछ मिल रहा है। कुछ संस्थाएं कहती हैं कि हमारे अन्दर अधिक देने की सामर्थ्य नहीं है इसलिए हम कम देंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप यह निश्चित कर दें कि अध्यापकों का एक ग्रेड होगा। ऐसा करने पर सवाल पैदा होगा कि उनके बजट के लिए जो रिकरिंग और नानरिकरिंग खर्चा होगा उसे वे कहाँ से ला कर पूरा करेंगे।

मेरा निवेदन है कि मेरा इस विषय में यह अनुभव है कि अगर कोई निश्चित नीति नहीं बनायी जाती है तो कारा खोटासा चलता है। यदि कोई आज यह आशा करे कि वह बन्दे से, दान दाताओं से रुपया लेकर स्कूल चला सकेगा तो यह भारी भूल है। अध्यापकों के वेतन और स्कूल के खर्च में एक प्रकार का

सम्बन्ध है। और वह निश्चित रूप में सामने आना चाहिए, अन्यथा इन स्कूलों में जो आठ दशा चल रही हैं उनमें भी अधिक दूरी और भयंकर दशा ही सर्वांगी है।

मैं निवेदन करूँ कि दिल्ली में जो दफा हो रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि जो काम करते हैं वे अधिकतर अध्यापक होने हैं और वे एजेंट होकर काम शुरू कर देते हैं और यह प्रवृत्ति घातक है। बाद में संस्था बनाने की कोशिश करते हैं। यह उल्टी गंगा बह रही है। इसकी रोकना चाहिए। पहले संस्था बननी चाहिए। संस्था की मूल बातें तैयार होनी चाहिए और उसके बाद इसमें अध्यापक आने चाहिए।

इसमें यह भी है कि इन स्कूलों का जो नाम है उसमें किसी सैक्ट का नाम नहीं होना चाहिए। इसकी व्याख्या कौन करेगा। क्या उसके लिए हम अलग से योजना तैयार करके देंगे। यह अटपटी सी बात है। मैं कहता हूँ कि नाम चाहे सैक्ट का हो या कोई भी हो, लेकिन जो हमने निश्चय किया है कि अपने देश में धर्म निरपेक्षता के आधार पर शिक्षा का कार्यक्रम चले तो हमें ऐसा केवल यह चाहिए कि वैसा होता है या नहीं। कई दफा सैक्टों के नाम से बड़ा लाभ होता है क्योंकि सैक्ट वाले लोग इसमें बहुत रुपया दे देते हैं। इसलिए इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

14.44 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

अन्त में मुझे दो तीन धाराओं के बारे में कहना है। यह जो मैनेजर वाली बात लिखी है जिसके लिए धम्री मन्त्री महोदय ने बतलाया कि यह सब के लिए जरूरी नहीं। तो मेरा निवेदन है कि मैनेजर जो है वे एक धादमी होते हैं। मैं समझता हूँ कि इन संस्थाओं में स प्रकार से वेत धादमी रखना बहुत हानिकारक होगा। इसलिए निश्चित रूप से यह तै कर देना चाहिये कि मैनेजर रखने का कोई प्रश्न नहीं है। हर संस्था में उसके मन्त्री

[श्री काशी राम गुप्त]

होते हैं। अध्यक्ष होते हैं और उन पर उसको चलाने का जिम्मेवारी होती है और जिम्मेवारी होती है अध्यापकों की तथा प्रधान अध्यापक की। उनके बीच में मैनेजर का कोई खल नहीं होना चाहिये।

दिल्ली की वर्तमान हालत को देखते हुए और जो प्रागे हालत होने वाली है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रच्छा होता कि मन्त्री महोदय कोई सम्बन्धी योजना बना कर सामने लाते जिससे पता लगता कि प्रागे के लिए उनकी दिल्ली के बारे में क्या नीति है। हमका मानना होना चाहिए कि वे केवल सरकारी स्कूल ही रखना चाहते हैं या अन्य संस्थाओं को भी स्कूल चलाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहते हैं। उनको यह भी बताना चाहिए कि जब कि उनको दोनों को ही प्रायिक सहायता देनी है तो सरकारी स्कूलों में भी प्रबन्ध में प्रविभावकों का समावेश करना चाहते हैं या नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि प्रबन्ध में प्रविभावकों का स्थान दिन पर दिन अधिक होना चाहिए। मेरा तो कहना है कि प्रबन्ध कारिणी जो बजट बनाये उसको भी प्रविभावकों के सामने रखा जाए और उनकी सहमति और समर्थन उसके लिए लेना चाहिए जिससे ये घोटाले न हो सकें। इससे उनको जानकारी रहेगी कि इस बजट में क्या खराबी हो रही है या क्या प्रच्छाई हो रही है।

जो भी प्रगतिशील स्कूल है उनके अन्दर प्रविभावकों की निश्चित तिथि पर बुलाया जाता है और वहां उनसे राय ली जाती है। इस विवेक में दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर का एक बड़ी सलाहकार समिति होगी। लेकिन वह प्रत्येक स्कूल के लिए नहीं होगी। मेरा मुद्दाव है कि प्रत्येक स्कूल में एक सलाहकार समिति हानी चाहिए। ऐसा होने से बच्चों, प्रविभावकों और अध्यापकों का सम्पर्क रहेगा। ऐसा होना तभी प्रगति हो सकेगी अन्यथा नहीं हो सकेगी।

Mr. Deputy-Speaker: I will call the hon. minister to reply at 4 o'clock.

Shri Barrow: The Speaker changed the time and reduced it to three hours altogether.

Shri M. C. Chagla: We have already spent three hours over the discussion. I take it that if there are no speakers, I will be called earlier than 4 o'clock.

Mr. Deputy-Speaker: Yes, but there are some more speakers.

Shri A. S. Alva (Mangalore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I fully support the provisions of this Bill. Several criticisms were levelled against some provisions. Though there may be some pruning by the Select Committee which will go into the matter and consider some of the objections raised, as regards the legality of certain provisions, I am sure most of the clauses in the Bill will come out without any substantial change. It is well-known that not only in Delhi, but also outside, the management of some of the schools is far from satisfactory. Of course, there are a number of schools which are managed very well and such schools will not be hit by any of the penal provisions of this Bill. But as regards schools where the consideration is either to make some money or introduce an element of politics, all those educational institutions will certainly come under the axe of the penal provisions of the Bill.

My hon. friend Shri Man Sinh P. Patel who, as he said, is managing some educational institutions, has been a little pessimistic and he has not liked the powers which Government are seeking to take in respect of rectifying the mistakes or in respect of rectifying the mismanagement of the schools. At one stage he said that when teachers were appointed by the manager or the management, it should not be open to the director to see

that they were not dismissed arbitrarily. I would submit that the provision in the Bill is a very salutary provision because we know in respect of some teachers that the management unnecessarily takes a biased view, trump up false charges and at their sweet will dismiss very good teachers. At the same time, there is also a provision in clause 3 which provides for an appeal against such a decision to the appropriate authority.

Clause 11 (3) provides:

"Any teacher of an aided school aggrieved by any order under subsection (2) may appeal to the prescribed authority who shall dispose of the appeal in such manner as may be prescribed."

In this connection, I would submit that the management should also be given the right of appeal. If there is a teacher who is not only not liked by the management but who also proves harmful to the institution then it must be the duty of the management to remove such a person. But if the director objects to that, then power must be given to the management to file an appeal against that decision and see that the teacher is dismissed or that his services are dispensed with.

I am sure the Joint Committee will go into this matter.

Then, it has been submitted that the managing committee should not appoint the manager. It is well known that a committee consisting of several people surely cannot manage an institution, or rather in the day-to-day administration, it would be almost impossible for all the members of the managing committee to join together and manage the school. Some of them may be founder-members of an institution, while some may be persons who simply give large amounts and who on that account are in the managing committee and who may not be very much interested in educational matters. From that point of view also, it is, therefore,

necessary that the management should be able to nominate or appoint a manager who on their behalf would manage the school. As a matter of fact, the management itself is held responsible for the due and proper management of the school.

One other salutary provision is as regards the annual inspection. We know that several times schools are not inspected and the authorities do not know what is happening in the schools till it really comes to the last stage almost when the school is about to be closed because it is so badly managed, and then some action is taken which is really very harmful. There is no point also in saying that Government should not interfere in the matter of education handled by the private managements. But then education is such an important subject where though it is not the policy of the Government and it is also not desired that the entire education should be taken over by Government, yet, Government should not abdicate their functions of seeing that the right type of education is imparted to the students and proper management is done of the schools which are privately managed.

Then, it has been said that on account of the decision of the Supreme Court, Government will have no Power to take over the administration of minority schools. Of course, that matter also will be examined by the Joint Committee as to how far the decision debars Government from interfering in such management. But clause 17 is there which will have a very salutary effect. Under sub-clause (4) of this clause, if the manager fails to comply with any direction given, there may be stoppage of aid and withdrawal of recognition. It may be said that the school may be taken over, under clause 18, but that would be contrary to the decision of the Supreme Court and, therefore, that may not be applicable. But under clause 17 (a) and (17) (4) (b), power could be invoked to see that the ma-

[Shri A. S. Alva]

agement is carried on on the right lines. Even though minority schools are run by the minority community, they should not take advantage of this and manage the school to the detriment of the students.

One other thing which has been objected to is in respect of the teachers being associated with the management. This is a very good provision. For, the teachers who come in touch with the students who are imparted education, and who have an education bias should also know what is best in respect of the management, and, therefore, their advice must be available to the managing committee and they should also be members of the managing committee, and the membership should go by rotation and the senior teachers should be members of the managing committee. I do not think that any responsible management which has the interest of education of the boys and girls at heart will object to it.

There is provision for recognition of schools and also for cancelling the recognition. There also, several grounds have been urged to see that the educational institutions are properly housed in good buildings and they have playgrounds and so on. Here also, I have a suggestion to make, that we should not stick to our old notions of having pucca buildings on which the British rulers used to insist in those days when they said that the building should be of such and such a type and so on. I believe, we could do with simpler buildings for the education of our children. I hope Government will see that proper rules are framed and if there are any rigid rules I hope they will be revised so that the difficulties of the management in securing pucca buildings can be relaxed.

This Bill, as has been rightly pointed out, has come a day too late, because long before we ought to have had a Bill of this type. I hope that all

the States also will take a lesson from this. This model scheme for the management of schools could profitably be copied by all the States so that secondary education may be put on a sound footing and the education of our children will not deteriorate.

15.00 hrs.

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar North) Primary education has been made in compulsory in the country; many state governments have also enacted legislation to that effect. But it has not been enforced with the spirit with which it ought to have been. The result is that the targets that we had planned during the Third Five Year plan period could not be reached. The consequence is that secondary schools also have suffered. The number of pupils attending secondary schools, including schools in the Delhi area, goes on tapering because the number of students attending the primary schools goes on dwindling. Also in the higher classes, the number of students goes on tapering.

Therefore, necessary facilities to implement the education programmes fully and effectively should be accorded. There are a number of bills, innumerable enactments and other things. But the spirit with which the policy should be implemented is lacking. Hence we find these disappointing results.

The statement of objects and reasons brings this out:

"In recent years, the unsatisfactory working and management of a number of private secondary schools in the Union territory of Delhi have been subjected to a great deal of adverse criticism"—

This is the case not only in Delhi but throughout the country. Government ought to take care of these things. Education through private institutions is being encouraged

because Government cannot run all the educational institutions. When private institutions take up this cause of education, it is hoped they will be able to do it with greater inspiration and greater zeal and energy; it is hoped they will implement the policy fully and in the right spirit. But in the capital of the country, we find private institutions and schools whose management and administration are unsatisfactory. I wonder why the power to rectify this state of affairs was not given to the Delhi administration. Secondly, why was this measure not thought of by Government much earlier?

The reasons for the Bill are stated to be many. One is violation of executive instructions regarding timely payment of salaries to teachers. Many a time through conferences and at other platforms secondary teachers and their associations have ventilated their grievances as regards non-payment of their salaries. Some of the states are thinking of giving the salaries of teachers direct to them through cheques issued by the DPI's office. If this can be done throughout, there will not be any loophole and the managements will not be in a position to take advantage of the other system. According to the Bill, aid will be given to the management of the private institutions. It is the first and primary duty of the manager of the school to see that the salaries of teachers are paid out of this fund and priority is to be given to this particular item. But how far teachers will be able to escape undue pressure is the question. The condition of the teachers, in spite of the laudable principles that we enunciate and proclaim, is so poor and unhealthy that the poor teachers are compelled to sign for a particular amount but actually receive much less. This is because they have got no other alternative and they cannot continue to be in the same institution after incurring the displeasure of the management. So they have perforce to put their

signature on a figure indicated by the management but actually receive much less.

In these circumstances, why should not Government, like the DPI in some states which has taken a bold step, take a bolder step and say that hereafter all teachers will be paid through the DPI's office directly. The other aspects of management and administration may be entrusted to the managements of the schools. Many of the States have already begun this experiment. I suggest this should also be made in the Delhi Union territory. That will be a sort of model to all; it will also give an assurance to the teachers, give them more satisfaction and also enable them to discharge their function in a better way.

The second reason is the failure to create a reserve fund. Then there is recruitment of teachers with lower than the prescribed qualifications; then unauthorised borrowing of money from the Pupils' Fund by the managements of schools, and lastly, collecting compulsory donations to meet the managements' share of the maintenance expenditure of the schools. The provisions for dealing with these matters are quite good; though there is a little error in drafting, the clauses are on the whole well-drafted. The intention is good. But how are we going to see that these things are brought into force? Even in the case of primary education, in primary schools, where education is free, it is not actually so. There is collection of donations, compelling parents to make certain subscriptions on certain days such as October 2 or Xmas day or some such day. Students are compelled to make certain subscriptions; parents are compelled to give certain donations. Therefore, if not in the form of fee, in other forms euphemistically called voluntary subscriptions, these collections and donations are realised. These donations

[Dr. Sarojini Mahishi]

should not be a harassment to the parents. It is good to voluntarily make a contribution to the cause of education, but it should not be a harassment to poor parents. What guarantee is there that these harassments will not be there and these clauses will be adhered to strictly? The administration should be powerful enough and vigilant enough to see that these things are strictly adhered to and complied with by the managements.

The main features of the Bill are listed in the statement of objects and reasons. One provision is for grant of recognition to a school on fulfilment of the conditions laid down in this behalf. Clause 3 is the relevant clause. Unless those conditions listed therein are complied with, no secondary institution will be recognised nor grants given. I do not know whether you have had an opportunity to go round the localities of Delhi, West Patel Nagar, Karol Bagh and so on. Even the so-called government schools are kept in insanitary conditions. No sanitary arrangements are there, the schools are housed in tents, irrespective of the sun or wind. They are kept in such a condition that one wonders how the children will be able to sit in those tents. No doubt, there is a floating population in the country, and the number of school-going children in Delhi is floating, it may increase once, decrease at another time and so on. At the same time, there are no buildings, no premises, no sanitary arrangements. I would be glad if the hon. Minister will arrange to conduct a survey of schools housed in tents without sanitary arrangements, without playgrounds, without the physical education facilities. He would find that the number of schools having no such arrangements will be much more than those having these facilities. A few schools, government schools, or schools organised by mission and other bodies may be kept in good condition. Government

schools or private schools which are aided schools are not a model in respect of the education imparted and these facilities provided.

This is a most important factor. If the health of the child is not attended to at a particular age, it may not be possible to see the health of the child regained afterwards. Thus we see that in medical examinations, we see many children in the secondary schools suffering from a number of illnesses, like defects in eye-sight and so on.

Another feature is provision for the framing of a scheme of management for every recognised school and the constitution of managing committee thereunder. As regards aid to recognised schools, I would like to draw attention to cl. 9:

"The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, and subject to such conditions as may be prescribed, pay to any recognised school by way of aid such sums of money as the Central Government may consider necessary,"

including either the full expenditure or such part of the expenditure of the school as may be prescribed under the rules.

In the case of aided schools, the full expenditure is to be met leaving no scope for the voluntary institutions to have their own initiative in the matter of administration, in the matter of collection, in the matter of meeting certain expenditure. I do not know what sorts of expenditure are included in this full expenditure, what items are admissible and what items are not admissible. Therefore, when over-all power to meet the full expenditure

of the schools has been taken by the Government, this should be properly defined.

Clause 21 states:

"It shall be lawful for the Central Government to give any direction not inconsistent with the provisions of this Act to the manager or the Managing Committee of a school in respect of any of the following matters, namely:—

- (i) Syllabus.
- (ii) text-books and other reading material.
- (iii) conditions of service of teachers,
- (iv) sanitary facilities, and
- (v) any other matter that may be prescribed."

I would be very happy if the hon. Minister defines what he means by directions regarding these things, whether relaxing the conditions is left to the sweet will and fancy of the management, under what circumstances there can be relaxation in regard to this and in regard to textbooks, sanitary facilities etc. If at all there is to be any relaxation, there should not be misuse of this relaxation, and proper precautions must be taken by the Government in this regard.

For secondary education an advisory body also will be formed, but the Secondary Education Committee has submitted a number of reports after studying the situation and conditions regarding secondary education in the whole country, but to what extent those things have been implemented is again a question to be asked on the floor of the House. Therefore, this is only a part of that big thing, the recommendations made by the Secondary Education Committee, and let us see at least that they are

properly enforced in the proper spirit, and prove a model to the rest of the country.

श्री शिवनारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यगृहीत हूँ। अब तक मैं ने जितने लोगों की स्पीच इस हफ्ते में सुनी मान्यवर, उसमें मैनेजर अधिकतर बोले हैं। लेकिन आज मैं ऐज ए टीचर बोसना चाहता हूँ और आज बताना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट की इयुटी है कि इस मुल्क के एजुकेशन को नेशनलाइज करे। इंडियन कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है कि 14 वर्ष के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे। तो उसका एक्सपेरिमेंट आप दिल्ली में करो और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मीन्स प्राइवेट बिजनेस। इट इज दि साइड बिजनेस आफ दीज मैनेजमेंट। यह मैनेजर लोग प्राइवेट बिजनेस करते हैं। न गेल्टर है न हाइजिन का इन्तजाम है। हाइजिन का इन्तजाम मैं जानता हूँ। मान्यवर, स्कूल मैनेजमेंट जी बात मैं ने पढ़ी ट्रेनिंग स्कूल में कि टीचर को प्रोवाइड हो वह सेलैक्टेटेड टीचर हों, जो नार्मल पास हों, एल० टी० पास हों, सी० टी० पास हों, उनमें से टीचर लें। व्हेयर देयर इज ए बिल देयर इज ए बे। अगर सरकार बाकई चाहती है कि देश का निर्माण हो तो भारत की राजधानी में अगर कमपत्सरी एजुकेशन और उसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ तो और कहाँ आप करेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप नेशनलाइज करे। आज दिल्ली के टीचर वाहि माम, वाहि माम कर रहे हैं। दो सौ रुपये उनकी तनख्वाह है, सौ रुपये देकर दो सौ पर उनसे दस्तावेज कराये जाते हैं। आप चाहे जितने कानून बनायें लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहेगा तो यह बीज चलती रहेगी। सौ रुपया उनको मिलता है, दो सौ पर उनसे

[श्री शिवनारायण]

दस्तखत कराया जाता है। यह कामन फीचर हो गया है। अब रिजल्ट उसका क्या होगा, जैसा कि काशीराम जी बोले और बाबा रामेश्वरामन्द महात्मा हैं, साधू हैं और वह भी बोले शिक्षा पर लेकिन कुछ कह नहीं सके। गुरु की मित्रता करने लगे। गुरोविश्वम्भरः। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सबक सीखा। जब पहले दिन पाँचों पांडवों पढ़ने गये तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि सदा सच बोलो और क्रोध न करो। यह सबक देकर घर भेज दिया। दूसरे दिन जब वह आये तो उनसे पूछा कि सबक याद हो गया। तो चारों भाइयों ने कहा कि हाँ, याद हो गया। युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने एक चाँटा उनको रसीद किया और कहा कि तुम सबसे बड़े राजकुमार हो और तुमको कुछ याद नहीं हुआ? तीसरे दिन बाद आये तो कहा कि भाधा सबक याद हो गया कि क्रोध मत करो, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी पीठ ठोंकी और कहा कि तुम हमारे गुरु हो। तो गुरु का कर्तव्य को यह है। गुरु ऐसा होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी ने यह बात नहीं बतायी। सुदामा और कृष्ण का कोटेशन किसी ने दे दिया कि सुदामा और कृष्ण एक ही घटसास में पड़े। सुदामा भिन्नमंगे रह गए और कृष्ण द्वारिका के शाहशाह हो गए। लेकिन जब सुदामा की बीबी ने कहा कि द्वारिका आहू जी, द्वारिका जाहू जी, तब सुदामा ने कहा कि शिक्षक हों सिगरे जग को धव ताकड़ू नू यह देति है शिक्षा। तो ऐसा गुरु हमको चाहिए और मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ तथा सेनेकट कमेटी के मेम्बरों से अपील करता हूँ कि इस बिल में बड़ी कमियाँ हैं, इस में मैंने जमेंट को माइनस. करो और एक

प्योर छोटा सा बिल चार लाइन का बना दो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहेगा, गवर्नमेंट मैनेजमेंट करेगी और गवर्नमेंट के जो शिक्षा शास्त्री हैं वह उन्हें चलायेंगे। यह एक्सपेरिमेंट यहाँ चलाए। हमारे शिक्षा मंत्रालय है और मान्यवर, यहाँ के एजुकेशन डायरेक्टर जो है, यह हमारे बस्ती में रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ भट्ट जी को। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे जो शिक्षा विद् हैं मैं उनका बड़ा प्रशंसा हूँ क्योंकि जानी ही ज्ञान को परख सकता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फर्स्ट क्लास वाला ही महात्मा भी होगा, फर्स्ट क्लास वाला ही अच्छा मिनिस्टर भी हो सकेगा और वही फर्स्ट क्लास वाला ही अच्छा एजुकेशनिस्ट भी हो सकेगा और वही फर्स्ट क्लास वाला ही अच्छा साधू भी हो सकता है, वही बड़ा काम कर सकता है। यह जो बीड़ी पीकर घूमते हैं या रात को सिनेमा देखते हैं वह बड़े धादमी नहीं हो सकते हैं। . . . (व्यवधान) . . . जी, यह सब उनसे सीखना पड़ेगा। मान्यवर, गुरुकुल का बड़ा जिक्र किया गया। पांडव इसी इलाके में पढ़ते थे। मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली लायी जाय। अभी हाल ही में आपने देखा हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम पर क्या हंगामा मच गया। मेरे साबक दोस्त लोहिया साहब को गोरखपुर में मारे पत्थरों के मारकर गिरा दिया गया सत्य बात कहने पर। न सोशलिज्म में विश्वास है, न और किसी में। आज सबका इम्तहान हो रहा है। तो जानी ही अच्छा टीचर बनता है और मैनेजर तो एक ही धादमी या हिन्दुस्तान में, मदन मोहन मालवीय जो कि भीख मांग कर गयी गयी से बनारस हिन्दू

पूनिर्वसिटी की नींव डाल गया। और तो सब के सब बिजनेस करने हैं। यह सही बात है। मैं ने तीन वर्ष तक यह काम किया है और पैसा हमारे नाम का जमा नहीं हुआ कालेज में। तीन वर्ष मैंने पढ़ाया और तनख्वाह मंजूर साहब खा गये। डोनेशन जमा नहीं हुआ। मेरे मित्र ने पूछा डोनेशन ? तो मैं ने कहा कि डोनेशन तो मैं ने दिया था लेकिन वहां रेकार्ड में कहीं उस की एन्ट्री नहीं है। मैं इसको चेंलेंज करता हूं, किसान स्कूल बस्ती में जाकर देख सकते हैं। मेरे मित्र डिप्टी मिनिस्टर साहब जानते हैं बस्ती की पोजीशन को। तो अगर दिल्ली को प्राय ऊंचा उठाना चाहते हैं तो जो मुस्ताब मेरा है उसको मान लीजिए। दिल अगर साफ है तो प्राइना क्या चीज है ? आज दिल्ली के शिक्षक बहुत दुखी है। सब से बड़ी बात मैं एजुकेशन मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि तीन हजार विद्यार्थी रोज यहां से यात्रियांवादा जाते हैं और इनजानिब भी उसमें हैं। रोज जाता हूं और आता हूं। तो इतने नेता लोग यहां बैठे हैं और शिक्षा मंत्री हैं, मुझे प्रफेसोस है कि शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं, शिक्षा मंत्री बहुत लनॅड न्यायाधीश रहे हैं अगर उनके हाथों से न्याय नहीं हुआ इस शिक्षा के मामले में तो मैं समझता हूं कि कोई दूसरा शिक्षा मंत्री इसको ठीक नहीं कर सकता। यह मैं इसलिए कह सकता रहा हूं कि यह मैं अपना फर्ज समझता हूं और मैं समझता हूं कि बिना ठोकर दिये कोई जागता नहीं तो हमारा धर्म है और मैं प्रलब धगाने प्राया हूं, इस सरकार को जगाने प्राया हूं। मैं यह चाहता हूं कि इस देश का कल्याण हो। यह डायलाग जो मैं कह रहा हूं वह बेकार जाने वाला नहीं है। वह प्रोसीडिन्स में मौजूद रहेगा और जाने वाली सन्तान समझेगी कि

हमारे लीडर जो रहे हैं वह मुनासिब बात कहते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी से एक माडेल बिल प्राय से प्रायें ताकि हिन्दुस्तान के कोने कोने में उससे प्रेरणा मिले और मुन्दर शिक्षा का प्रसार हो, देश का कल्याण हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

श्री मोहन स्वकर (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्राया है शिक्षा सम्बन्धी इसमें कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जिनके ऊपर प्रायका ध्यान प्राकषित कर्नागा। जहां तक कि शिक्षा का प्रश्न है यह एक महत्वपूर्ण विषय हमारे देश के सामने है क्योंकि जैसी कि प्राय तौर से लोगों की धारणा है शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और इसकी वजह से जो शिक्षित मजदूर प्राये प्राये वाला है देश में उममें कुछ प्रगति नहीं हो रही है। जो प्राये प्राये वाली पीढ़ी है वह पिछले दिनों की याद करती है कि फलां प्रादमी बहुत लनॅड रहे हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर लनॅड रहे हैं या अरविन्द घोष लनॅड रहे हैं, पुराने लोगों की याद करते हैं। जो नई पीढ़ियां प्रा रही हैं, उन में ज्ञान का बड़ा प्रभाव नजर प्राता है। सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। शिक्षा एक बुनियादी चीज है, मनुष्य को बनाने में जिस का बड़ा महत्वपूर्ण प्राग है।

जहां तक टीचर्स का सम्बन्ध है, उन का स्टॅण्ड भी गिरता जा रहा है। उस के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि जो सब से गिरे हुए लोग हैं, जिन को कहीं कार्य नहीं मिलता है, जो प्राई० ए० एल०, पी० सी० एल० और धन्य विभागों में नहीं जा पाते हैं, वे टीचिंग साइल में जाते हैं। इस के

[श्री मोहन स्वरूप]

अलावा प्राइमरी और सेकंडरी तीसरी की तनख्वाह भी अपर्याप्त है। उस की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इस बिल के द्वारा जो प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं, उन के बारे में कई प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट्स की प्रतिक्रिया अखबारों में प्रकाशित हुई है। उन की तरफ से कहा गया है कि गवर्नमेंट हमारे कार्य पर क्यों प्रतिबन्ध लगाना चाहती है। जैसा कि स्टेटमेंट आफ् आबजेक्ट्स एंड रीजन्स में कहा गया है, सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को इस कारण से कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि वे कई डोनेशन्स लेते हैं, अप्टाचार करते हैं और नाजायज चन्दे वसूल करते हैं। इसके जवाब में मैनेजमेंट्स की तरफ से कहा गया है कि सरकार यह अनुश्रु लभ्य कर हमारे काम करने की शैली और ढंग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है।

क्लॉज 4 में कहा गया है कि हर साल ऐसे स्कूलों की फ्रेजरिस्त तैयार होगी, जो खोले जाते हैं और रेकगनाइज होते हैं। इस के साथ ही इस में यह व्यवस्था भी की गई है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकरर किया जायेगा, जो शिक्षा सम्बन्धी पालिसी बनायेगा और प्रबन्धकों को इस बात के लिए मजबूर किया जायेगा कि वे उस के अनुसार कार्य करें। यह भी कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेजर को भ्रमण करने का अधिकार होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के सामने मैनेजर को रखने का प्रश्न तो है नहीं। स्कूल की एक मैनेजिंग कमेटी होती है और वह मैनेजर का चयन करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को यह अधिकार कैसे हो गया कि वह किसी मैनेजर को भ्रमण कर दे। वह एतराज कर सकती है, वह नोट भेज सकती है, लेकिन उस को यह अधिकार दिया जाये कि वह मैनेजर को भ्रमण कर दे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

इस बारे में मैं सजेस्टियन दूंगा कि हर साल एक लिस्ट तैयार करने के बजाये पांच सालों में जो स्कूल खुलें और जिन को रेकगनीशन प्राप्त हो, उन की लिस्ट पांच साल के बाद तैयार की जाये। हर साल लिस्ट तैयार करना सुविधाजनक मालूम नहीं पड़ता है।

मैं चाहता हूँ कि नये नये स्कूल खुलें और देश में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार इस बारे में ऐसी नीति अपनाये कि वर्तमान लम्बी-चौड़ी फार्मेलिटीज को कम किया जाये। मैं न दिल्ली में ऐसे बहुत से स्कूल देखे हैं, जो मुदतों से टेन्स में चल रहे हैं। उन स्कूलों में बच्चों को बहुत असुविधा होती है। उन को गिरियां में लू और जाड़े में ठंड का सामना करना पड़ता है। इस तरह बच्चों को बहुत तकलीफ उठनी पड़ती है। यह ठीक है कि इस बारे में हाई एंड फास्ट रूल्स बनाये जाने चाहिए और उन्हीं के अनुसार रेकगनीशन दी जाये, लेकिन जहां तक रेकगनीशन का सम्बन्ध है, उस में जहां तक हो सके, फार्मेलिटीज को कम करना चाहिए। एक लम्बी-चौड़ी लिस्ट होती है। जब तक वह पूरी न हो जाये, तब तक रेकगनीशन नहीं मिलता है।

15.26 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI in the Chair]

मैं चाहता हूँ कि रेकगनीशन के तरीके में सुधार हो, उस को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाया जाये, ताकि जैसे ही स्कूल खुलें, उन को रेकगनीशन मिल जाये और वे कार्य शुरू कर दें और उन को क्वाह-म-क्वाह परेशानी न उठानी पड़े।

यह ठीक है कि कुछ प्राइवेट स्कूलों में डोनेशनस कम्पलसरी तौर पर लिये जाते हैं। बच्चों को दो चार रुपये बिलिडग फंड

में देने पड़ते हैं। मेरा मुझाव है कि जैसे ही स्कूल खुलने की फार्मैलिटीज पूरी हो जायें, वैसे ही सरकार स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिये एक अछठी रकम दे दे। जैसे ही रिजर्व फंड और दूसरे फंड पूरे हो जायें, वैसे ही सरकार को बिल्डिंग के लिए एक रकम दे देनी चाहिए, ताकि स्कूल की बिल्डिंग खड़ी हो जाये और शिक्षा का कार्य चल पड़े, बजाये इस के कि स्कूल टेंट या झोंपड़े में चले। मंत्री जो उच्च-कोर्ट के धादमी हैं। उन से मेरी मांग है कि अब वक्त आ गया है कि शिक्षा के कार्य को प्राथमिकता, प्रायर्टी मिलनी चाहिए और उस को एक ऐसा काम नहीं समझना चाहिए, जो बिल्कुल बर्ड रेट का काम है, जिस से सरकार और लोगों का मतलब नहीं है।

मैं ने यू० पी० और दूसरी स्टेट्स में खुद देखा है कि प्राइमरी स्कूल में बहुत ही बर्ड रेट, बहुत ही गिरे हुए धादमी टीचर्स हैं, शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता कि जब बर्ड रेट धादमी शिक्षा के कार्य में लगे हुए हों, शिक्षण का कार्य कर रहे हों, तो लड़के किस तरह से ऊंचे उठ सकते हैं। इसलिए मेरा मुझाव है कि शिक्षा के कार्य को प्रायर्टी मिलनी चाहिए और अछठी किस्म के, फ्रस्ट रेट धादमी शिक्षण-कार्य में होने चाहिए, बजाये इस के कि वे आई० ए० एस० या पी० सी० एस० में जायें।

बर्ड रेट धादमी शिक्षा के क्षेत्र में क्यों जाते हैं? इस का कारण यह है कि गवर्नमेंट टीचर्स को जो सैलरी देनी है, वह इतनी कम है कि जो फ्रस्ट रेट धादमी आई० ए० एस० या पी० सी० एस० के बजाव देखते हैं, वे उस से गुजारा नहीं कर सकते हैं। पिछले जमाने में, जब कि इस देश में शिक्षा का प्रसार था, उस्तादों की कद्र होती थी। पुराने जमाने में हमारे देश में ड्रोगाचार्य और दूसरे गुरुओं की इज्जत होती थी, उन की प्रतिष्ठा थी, लेकिन दुख की बात है कि आज टीचर्स की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे जैसे पुरानी किस्म

के, पुरानी पीढ़ी के छोड़े से लोग तो गुरुओं को प्रणाम भी करते हैं, लेकिन आजकल के नौजवान अपने गुरुओं को प्रणाम करना तो दूर, सही नाम लेना भी पसन्द नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि गुरु और शिष्य का पुराने जमाने का पवित्र सम्बन्ध फिर से कायम हो और भारतीय समाज में गुरु को ऊंचा दर्जा और स्थान दिया जाये। तभी शिक्षा की उन्नति हो सकती है, अन्यथा इस से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

इस वक्त शिक्षा की जो प्रणाली है, उस में भी धामूल परिवर्तन करना होगा। आज-कल स्थिति यह है कि मुदलियार कमेटी, फ़लां कमेटी और काफ़रेंसिज में सिर्फ़ यही डिस्कशन होता रहता है कि डिग्री कोर्स तीन साल का हो या चार या पांच साल का हो। शिक्षा के सम्बन्ध में सारी इनर्जों और सारा शोरो-शौध इस बात के लिए होता है कि डिग्री कोर्स कितने सालों का हो। इस बात पर कभी गौर नहीं होता है कि प्राइमरी शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, हायर सेकंडरी शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए और क्या हमारी शिक्षा प्रणाली भारतीय परम्पराओं और भारतीय तौर तरीकों के अनुसार है या नहीं, क्योंकि प्राइमरी और हायर सेकंडरी एड्युकेशन हमारी शिक्षा की बुनियाद हैं। अगर किसी इमारत की बुनियाद अछठी है, तो वह इमारत मजबूत हो सकती है। इसी प्रकार अगर प्राइमरी शिक्षा का डंग और तरीका अछठा है, तो धामे चल कर शिक्षा प्रणाली भी अछठी हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्राइमरी और हायर सेकंडरी और उस के धामे कानेज एड्युकेशन की नये सिरे से जांच की जाये, उस को नये सिरे से इन्वैल्यूएट किया जाये। उस के बाद एक नया तरीका प्रपनाया जाये और शिक्षा के स्तर को अधिक से अधिक ऊंचा करने की तरफ़ तवज्जह दी जाये।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसके बारे में ज्यादा मतभेद नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन की और

[श्री मोहन स्वरूप]

भाप को खास ध्यान देना है। एक चीज को ठीक चल रही है उसके रास्ते में रोड़े नहीं घटकाने जाने चाहियें। यह मुनासिब नहीं है। जो कुछ चल रही है, सही चल रही है उसके रास्ते में रोड़े घटका दिये जायें और काम की कोई बात न हो तो यह ज्यादा जंचता नहीं है। टीचर्स और मैनेजमेंट से बात करने पर यह पता चला है कि कुछ डिफिकल्टीज हो जायेंगी उस में जो काम चल रहा है और वह काम भी रुक जायेगा। ऐसा नहीं होना चाहिये। मेरा अनुरोध है मंत्री महोदय से कि वे एक ब्यापक बिल लाते। एक ऐसा ब्यापक बिल लाते जो सारे देश पर लागू होता। केवल दिल्ली के लिए या मनीपुर के लिए, या निकोबार और प्रदमान द्वीप समूह के लिए या मनीपुर के लिए न ला करके एक ब्यापक बिल लाते। वे नहीं लाये हैं। मैं चाहता हूँ कि उसे वे लायें ताकि वह सारे देश पर लागू हो सके, देश के सभी भागों पर लागू हो सके। वह एक कम्प्रिहेंसिव बिल हो ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं वे दूर हों। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों के बीच में जो दरार है उसको भी पाटा जाये। पब्लिक इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के मध्य की दरार को पाटा जाये। उससे डिस्क्रीमिनेशन होता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो डिस्क्रीमिनेशन चल रहा है, वह खत्म होना चाहिये। उस डिस्क्रीमिनेशन के रहते उनको वह लाभ नहीं मिलता है चाहे माली लाभ हो या दूसरा लाभ हो जो मिलना चाहिये। इस खाई को भी पाटने की आवश्यकता है। सभी शिक्षा अच्छे तरीके से चल सकती है।

Mr. Chairman: Shri Shree Narayan Das.

Shri Warior: May I know when the hon. Minister will be called?

Mr. Chairman: At 4 o'clock.

श्री श्रीनारायणदास (दरभंगा) सभापती महोदय संघ क्षेत्र दिल्ली के लिए माध्यमिक शिक्षा का प्रच्छा प्रबन्ध हो और शिक्षा क्षेत्र में जो यहां बुराइयां हैं वे दूर हों इस ध्येय को सामने रखते हुए जो विधेयक माननीय शिक्षा मंत्री लाये हैं और जो कि प्राणा की जाती है कि प्रवर समिति के मुपुर्द कर दिया जायेगा, इसके बारे में या शिक्षा प्रणाली के बारे में या शिक्षा के सिद्धान्तों के बारे में ज्यादा आलोचना करने का कोई उचित अवसर इस वक्त नहीं है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कि जो अभी पिछले दिनों एक देश व्यापी जांच पड़ताल हुई थी उसके प्राधार पर राज्यों की सरकारों ने और केन्द्रीय सरकार ने भी जो अपनी नीति निर्धारित की उसके अनुसार जैनी प्राणा की जाती थी कि शिक्षा में विरोध सुधार होगा वह नहीं हो सका है। मैं आशा करता हूँ कि जो नया कमीशन माननीय शिक्षा मंत्री ने अभी नियुक्त किया है और जिसको नियुक्त करने का श्रेय उनको है, वह कमीशन हर प्रकार की शिक्षा के सम्बन्ध में जो नये से नये विचार है या देश की जो भूतकाल की अवस्था थी या वर्तमान में जैसी उसकी अवस्था है, उसका अध्ययन करके, एक ऐसी योजना हमारे सामने पेश करेगा जिससे कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सुधार हो सके।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसके उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि दिल्ली के संघीय राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विकास और प्रबन्ध और कह सकते हैं कि नियंत्रण के लिए भी यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूँ कि आज की हालत में इसकी आवश्यकता भी है और बांछनीयता भी। बिना इसके माध्यमिक शिक्षा का अच्छे ढंग से विकास नहीं हो सकता था। लेकिन जहां इस बात की आवश्यकता थी वहां यह बात भी महसूस करने वाली है कि

अभी तक जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये थी। जहाँ तक विस्तार का सम्बन्ध है न राज्यों में और न ही केन्द्र के जो संधीय क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली वहाँ इस समय तक उतना विस्तार हो सका है जितना होना चाहिये था। अगर प्राइवेट क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ होता और प्राइवेट लोगों ने प्रयत्न नहीं किये होते और माध्यमिक शिक्षा के खर्च का सारा भार सरकार पर रख दिया जाता तो देश में जितना माध्यमिक शिक्षा का विस्तार हुआ है वह भी नहीं हो सकता था। जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा है अभी भी दिल्ली के क्षेत्र में भी जोकि हमारी राजधानी है, जितनी माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता है माध्यमिक शिक्षा के प्रचार के लिए उनकी व्यवस्था सरकार स्वयं नहीं कर सकी है। हर साल हमारे सामने सवाल आता है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता है। वे अच्छे स्कूलों में जाना चाहते हैं, वहाँ उनका प्रवेश नहीं हो पाता है और सरकारी स्कूलों में भी बहुत से विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता है। ऐसी हालत में इस बात की कोशिश करनी चाहिये सदन को भी और सरकार को भी कि अभी भी प्राइवेट लोगों के माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और जहाँ तक सरकार उनको बढ़ावा दे सकती हो, वहाँ तक उसको उन्हें देना चाहिये। यह मैं मानता हूँ कि निजी क्षेत्र में जो माध्यमिक शिक्षा का चलन है उस में बहुत तरह की बुराइयाँ हैं जिन का उल्लेख इस विधेयक के अन्दर भी किया गया है और उन बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता भी है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी महसूस करने की जरूरत है कि माध्यमिक शिक्षा का पूरा भार हमारी केन्द्रीय सरकार संधीय क्षेत्रों में भी नहीं ले सकती है, देश के देहाती क्षेत्रों की बात को तो प्राप जाने दीजिये। देहाती क्षेत्रों में अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ

स्कूलों की आवश्यकता है। लेकिन सरकार वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी है। वहाँ निजी तौर से काम करने वाले जो व्यक्ति विधेय है, शिक्षा प्रेमी हैं, शिक्षा सुधारक हैं और जो चाहते हैं कि शिक्षा का प्रसार गाँव गाँव में हो वे गाँवों के लोगों से चन्दे ले कर इस तरह की शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं। यही कारण है कि शिक्षा कुछ धाने बढ़ रही है। इस वास्ते इस विधेयक पर विचार करते वक्त हमें इस बात को भी सामने रखना चाहिये।

एक बात की और और मैं प्राप का ध्यान दिवाना चाहता हूँ जो इस विधेयक में कही गई है। राज्यों में मैं जानता हूँ कि बोर्ड प्राफ सैंकेंडरी एजुकेशन है। यह भी सुना है कि यहाँ भी बोर्ड प्राफ सैंकेंडरी एजुकेशन है। मुझे मालूम नहीं कि वह बोर्ड प्राफ सैंकेंडरी एजुकेशन किसी कानून के अन्तर्गत बनाया गया है या किसी दूसरी तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। मेरा खयाल है कि जब हम माध्यमिक शिक्षा पर विचार कर रहे हैं तो इस में बोर्ड प्राफ सैंकेंडरी एजुकेशन को भी कुछ अधिकार हम को देने चाहिये थे। यहाँ परिभाषा में बोर्ड प्राफ सैंकेंडरी एजुकेशन का जिक्र है। परिभाषा में तो यह कहा गया है कि "बोर्ड" मीड दी सैटून बोर्ड प्राफ सैंकेंडरी एजुकेशन। लेकिन यह भी अपर्याप्त मालूम होती है। इससे ज्ञात नहीं होता है कि कौन सा बोर्ड प्राफ सैंकेंडरी एजुकेशन। क्या यह किसी कानून के अन्दर कायम हुआ है या वैसे ही लोगों ने इसकी स्थापना कर दी है और सरकार ने इसको मान्यता प्रदान कर दी है। कैसा यह बोर्ड है इसका पता नहीं चलता है। इसको साफ किया जाना चाहिये था। साथ ही मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बोर्ड प्राफ सैंकेंडरी एजुकेशन को क्रियाशील और अधिकार प्राप्त संस्था बनाया जाये और जो बहुत से अधिकार इस विधेयक के अन्तर्गत से निदेशक को या डायरेक्टर प्राफ

[श्री श्रीनारायण दास]

एजुकेशन को दिये जा रहे हैं उन अधिकारों में से बहुत से अधिकार बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन को देने चाहिये थे। इस विधेयक में जितनी भी धारायें हैं जहां भी अधिकार देने का जिक्र आया है वहां यही कहा गया है कि जो अधिकार है वे डायरेक्टर आफ एजुकेशन के हांगे या केन्द्रिय सरकार के हांगे। यह भी कहा गया है कि केन्द्र को अधिकार होगा कि वह इन अधिकारों को डायरेक्टर को दे दे या डायरेक्टर के मातहत किसी दूसरे अफसर को दे दे। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहता हूँ। इस विधेयक के अन्दर बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन के काम और कर्तव्य और अधिकारों का जिक्र करके जो अधिकार है वे बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन को भी दिये जाने चाहिये और बाँड़े से अधिकार डायरेक्टर जो हैं उनको भी दिये जाने चाहिये। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जब यह विधेयक प्रवर समिति में जाये तो इसका खयाल रख कर बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन के लिए अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ प्रसंग बढ़ा प्रवश्य करें।

इस विधेयक में जैसा मैंने कहा है सरकार को अधिकार होगा कि किसी अफसर को, डायरेक्टर के मातहत किसी अफसर को वह अधिकार दे दे। मेरा सुझाव यह है कि अधिकार देते समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये और मैं समझता हूँ कि सरकार रखेगी भी और मैं चाहता हूँ कि यह चीज एग विधेयक में स्वीकृत भी होनी चाहिये कि किसी एक टैक के नीचे के अफसर को ये अधिकार न दिये जायें, उस टैक से ऊपर के जो अफसर है उनको ही ये मिले। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

जहां जहां इस में दिया गया है कि डायरेक्टर को अधिकार होगा कोई सरकारी निर्णय लेने का, वहां उसकी अपील के सम्बन्ध में

जहां जहां भी जिक्र किया गया है वहां वहां कहा गया है "प्रेसक्रिप्ड प्रायोसिटी"। उसी को अपील सुनने का अधिकार दिया जाएगा। जो अधिकार ग्रहण लेने जा रहा है सुधारों के खयाल से, प्राइवेट संस्थाओं के काम का सुधार करने के लिए; उन में मैं यह उचित समझता हूँ कि जब ऐसा निर्णय कोई अफसर ले या सेंट्रल गवर्नमेंट ले तो उसके खिलाफ अपील का अधिकार होना चाहिये। इसमें मंत्री महोदय ने जिक्र किया कि किसी को भी निर्णय के खिलाफ न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा। किसी प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने एक बार कहा था कि किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि अगर उस के साथ कोई अन्याय हुआ है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर वह न्याय प्राप्त कर ले।

मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने में पैसा बहुत खर्च होता है। अच्छे से अच्छे वकील को रखने की जरूरत होती है और दूर जाना पड़ता है। हाई कोर्ट जाना हो तो जो प्रदेश की राजधानी होती है उस में जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो दिल्ली घाना पड़ता है। यह उचित नहीं है। अगर सरकार का निर्णय नान्याय है तो उसके खिलाफ जाने का अधिकार मुविधाजनक होना चाहिये। साथ ही न्यायालय से यह अधिकार छीन लेना भी उचित नहीं मालूम पड़ता।

इस विधेयक में दिया हुआ है और इस प्रकार की धारायें हैं कि सरकार को यह अधिकार होगा कि किसी खास स्कूल पर या दो, चार, दस स्कूलों पर चां तो इस कानून को लागू न करे। वह उनको इस कानून की जद से हटा सकती है। सरकार के ऊपर कोई इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होगा कि वह उन को लागू प्रवश्य करे।

मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है। आपको सब को बराबर की दृष्टि से देखना चाहिये। सरकार के पास इस प्रकार का अधिकार रहना कि वह इस कानून को किसी स्कूल पर लागू करे और किसी पर न करे मनाबिब नहीं होगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि विधेयक के क्लॉज 20 में ऐडवाइजरी कमेटी के सम्बन्ध में दिया हुआ है। आप देखेंगे कि उसमें लिखा है :

"There shall be an Advisory Committee on Education which shall assist the Director in formulating major policies about education as may be consulted by the Director on such matters as he thinks fit."

कि धारा 21 में दिया हुआ है :

"It shall be lawful for the Central Government to give any direction not inconsistent with the provisions of this Act to the manager or the Managing Committee of a school....."

मैं समझता हूँ कि सलाहकार सचिब जो बने वह केवल डायरेक्टर को सलाह देने के लिये न बने। अगर सलाहकार समिति बने तो डायरेक्टर को तो सलाह दे ही, सरकार को सलाह देने के लिये भी हों क्योंकि मेजर पालिसी सरकार तय करती है। डायरेक्टर नहीं तय करता है। ऐडवाइजरी कमेटी का काम सरकार को सलाह देने का होना चाहिये क्योंकि डायरेक्टर तो बहुत नीचे का अधिकारी है।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि बोर्ड आप सैकेण्डरी एजुकेशन को इबाग गठित करना चाहिये इस कानून के द्वारा। बोर्ड प्राथमिक एजुकेशन माध्यमिक स्कूलों के नियंत्रण और विकास के लिये होना चाहिये जो कि उनका काम है। चाहे प्रस्ताव के जरिये से हो या किसी दूसरे

जरिये से, कानून के अन्दर उसे ऐसा अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि बोर्ड आप सैकेण्डरी एजुकेशन और सलाहकार समिति सरकार को समय समय पर माध्यमिक शिक्षा के विकास और अच्छे प्रबंध के लिये अधिक से अधिक राय दे सकें।

मैनेजमेंट के जो अधिकार रहे गये हैं उनमें एक धारा यह है कि जब कोई प्रबंधकारी समिति किसी शिक्षक के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करेगी तो बिना डायरेक्टर की मंजूरी के वह नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि इससे अनुशासन ठीक नहीं चलेगा। मैनेजिंग कमेटी को कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिये बिना डायरेक्टर की राय के। लेकिन अगर वह कोई नाजायज निर्णय ले तो उसकी धरपेंच करने का अधिकार शिक्षक को भी होना चाहिये। जैसा धर्मा एक माननीय सदस्य ने कहा, अगर सरकार कोई निर्णय ले जो कि प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णय के खिलाफ हो तो प्रबन्धकारिणी समिति को भी अधिकार होना चाहिये सरकार के खिलाफ धरपेंच करने का और उसकी मुनवाई हो।

एन शर्मा के साथ मैं घाशा करता हूँ कि यह विधेयक जो धारा है उस में बहुत से सुधारों की जरूरत है और प्रत्येक समिति उस पर पूरा ध्यान दे कर इस विधेयक को इस रूप में लायेंगी जिस को हम लोग अच्छी तरह से स्वीकार कर सकेंगे।

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Madam, I do not want to take a long time; I only want to touch one or two points. The Bill before the House deals with the secondary education scheme for the region of Delhi, Delhi being a Union Territory under the Central Government, it is naturally expected that whatever is done for the improvement of the people by the Central Government will be something of a model for the rest of India. Under the Constitution, the different States in

[Dr. M. S. Aney]

the country are autonomous particularly in the matter of education. Their right of autonomy is guaranteed under the Constitution. Therefore, they do not like any interference by the Central Government in their rights in determining the policy of education and management of the department of education. Though that is a general tendency generated in their thinking because of the guarantee contained in our Constitution, if we prepare model laws for those regions that are under the Union Government they are bound to have a salutary effect on the policy adopted by the different States also. My only appeal is that with this object in view the Union Government should proceed.

15.45 hrs.

[SHRI SONAVANE in the Chair]

I know no Minister of Education up to this time has taken so much interest in trying to frame, as much as possible, a uniform policy for education in this country. In his own way the hon. Minister is doing his best. I also know what amount of staunch opposition he has to encounter in regard to certain matters. Nonetheless, wherever he gets an opportunity, as he has done so far as education is concerned, he acts with the clear idea that, whether they like it or not, it is our duty to see what is best for them. With that spirit the model should be prepared by us. That is on way by which the Joint Committee should try to look at this Bill.

My second point is about the study of language. Education is divided practically into three or four stages in India. They are: primary, secondary, the high school course, the university course and then the post-graduate course. Primary education is mainly confined in supplying those elemental needs without which a boy or a girl cannot make any real progress for getting the real education. Primary education is mainly intended for that. It is at the secondary stage that an important stage comes

in wherein education has to be given with a certain broader purpose, with some main objectives in mind. At least the roots, the elements of those main objectives should be kept in mind while preparing the syllabus or the course of study for secondary education.

From that point of view, I regard apart from other matters in which I do not want to enter, the study of classical languages in the interest of teaching the elements of humanity to the children is very important. Now, I mention 'classical languages' in general, for in a country like India which is inhabited by different kinds of people, though we are having more or less a common culture which we call the "Indian culture", we have still to recognise the fact that, that culture also takes different forms in different places. There is, what may be called, the Muslim aspect of Indian culture, if you would like to call it like that; there is the Hindu aspect of Indian culture and in the same way there are other aspects of Indian culture also. There are some differences mainly on account of religion or sect in which they have been brought up.

Therefore, the difficult task of the educationist is this, that he must prepare a child to have a proper grounding in the culture in which he or she has been brought up and, at the same time, in bringing him or her up he must also keep in mind that he or she is brought up in such a way as to be friendly towards the culture of other people. These two things have to be simultaneously done. He must see that he gets what is his and also that he is friendly to what belongs to others. Once this view or objective is properly understood, it is an easy matter to arrange the syllabus and the course of studies. The study of the classical languages in order to give a good grounding about the culture of this country is very necessary.

So far as Hindus are concerned, I believe Sanskrit is such a language which can certainly be said to be common to almost all the Hindus inhabiting this country. It is a classical language which has great importance in the world of literature also. That is another aspect to be considered. I do not want a classical language of the Hindus, the majority of people of this country, should be placed in such a position that he gets practically no chance of having any knowledge in the course of his education. It is necessary and proper that arrangements should be made for the study of this language from the secondary stage of education.

In my opinion, having had some experience both as a student and also a teacher for some years, if three hours in a week are given to the study of a classical language for a period of four years one gets sufficient knowledge of that language to carry on his studies further. So much period of study is necessary if one has afterwards to make a special study to better his knowledge; he should have that much grounding so that he can really by his own efforts get further knowledge on the subject. How one will get those four years, I leave it to the others to decide, but a period of four years with three or four hours every week is the minimum time necessary and in my opinion it should not be difficult to find those four years to the study of this language during secondary education, that is, up to the matriculation class. So, the study of languages should be arranged in such a way, planned in such a way that a student will get four hours a week for a period of four years to learn a classical language.

The difficulty here is the language formula—English, Hindi, Marathi and so on. So far as the mother tongue is concerned, that should be the language for giving education at the primary school level. You can curtail the study of this language for the higher courses by curtailing the time

allotted for it; you should keep the minimum time for the study of this language at the higher classes. You can allow the language to be studied by making it the medium so that one can study that language without spending any time specially for the study of it as a language. In that way, you can reduce the number of languages to be studied from four to three. I concede that for the time being at least, until there is better understanding among the people and there is a feeling of accepting Hindi as the national language, until that time, at least for some years the study of three languages should be there. So, by curtailing the hours on the study of the mother tongue as a language and by keeping that vernacular as a medium of study for all the subjects in the secondary stage, I believe it will be possible for you to secure four hours or three hours a week for the study of a classical language. It will not be difficult. In that way, by doing that you can introduce more boys to the ancient works, the teaching of which has become the basis of the character, all those who were revered as great men by our culture from the days of *Ramayana* and *Mahabharata* to the present day. Those ideas from the beginning of history will be clearly before the boys when they start their studies. I lay special stress on that because without acquaintance of the Sanskrit language and its literature one will not be able to appreciate what it contains and one would be living in this world like sailing in a boat without oars. One will be simply drifting in the world. Do not allow the boys to drift hereafter; give him a good rudder and a proper destination and that you can do not by delivering lectures but by giving him sound education in those classical languages in which this culture is fully explained and properly clarified. This is the main point that I wanted to mention.

I do not want to give any long lecture on Sanskrit language. Along

[Dr. M. S. Aney]

with this grounding in our ancient culture we have to look upon the other requirements of the country. The other rudiments have also to be taught in the secondary schools. We are entering into an industrial age. In addition to agriculture, our main progress in future will be in industrialisation. We want to be in the vanguard in industrialisation. So, knowledge about industries which is so very necessary for progress should also be made compulsory.

I believe the scheme which the hon. Minister has prepared, of which he has given us an idea, will be of such a nature as to possibly bring in a proper base for such an education of which I have talked a little bit. I thank him for having introduced a Bill like this. I am sure when this Bill goes to the Joint Committee it will be more fully discussed there, all the better suggestions will be fully considered there and that it shall come out of the Joint Committee in an improved form when this House with great pleasure will give its seal of approval to it as providing for the whole of India a model secondary education scheme. With these words, I thank my hon. friend, our distinguished Chairman, for having given me so much time to explain my viewpoint.

Shri Yashpal Singh: Sir, on a point of order. There is no quorum in the House.

Mr. Chairman: The bell is being rung... Now there is quorum.

16 hrs.

Shri M. C. Chagla: Mr. Chairman Sir, I have listened with the greatest respect to the remarks just now made by my hon. friend, Dr. Aney. He has a record of very distinguished service behind him and I always listen with respect to anything that he has to say on the subject of education. I agree with him that we must try and make this Bill a model Bill for the whole

of India. He realises just as much as I do that secondary education is a State subject. Some hon. Members said that this should be made applicable to the whole of India. Constitutionally we cannot do so. But we can do this and we will certainly try and do this, that is, make this a model Bill which could be followed and copied in other parts of India, if not by legal compulsion, at least by example and persuasion. I assure my hon. friends that I have listened to the very fine debate that we have had and we will take all suggestions made into consideration when we go to the Select Committee. I hope, when the Bill emerges from the Select Committee, it will be a much better Bill than when it went there.

Various general observations were made with regard to secondary education with which I do not want to deal. It has been said—I entirely agree—that secondary education is the most vital sector of education, that the quality of secondary education should be improved, that there should be diversification, that it should be production-oriented. I also agree that teachers are not properly paid. We can raise the standard of education only when we pay our teachers well. But may I point out to this House that this Bill is of very limited application. It only deals with the management and administration of secondary schools in the Union territory of Delhi and the reason for this Bills, as the statement of objects and reasons points out, was that we had received several complaints of mal-administration in schools which are run in the Union territory of Delhi.

May I disabuse the mind of some hon. Members with regard to one matter. I do not know whether he is here but my hon. friend Shri Patel from Gujarat asked a question as to whether we want to discourage private agencies from opening secondary schools and assisting Government in the prosecution of second-

ary education. My emphatic answer is "No". We want the full support of private agencies in secondary education. I am the first to acknowledge what great help, what great assistance what great contribution private agencies have made as far as secondary education is concerned. Both in the Union territory of Delhi and almost in every State, a great deal of work is being done in secondary education by private agencies. Whereas primary education is practically solely the concern of the State, as far as secondary education is concerned, to a large extent it is the private agency that is running secondary schools and helping the cause of education in this country. But that does not mean that we must not supervise and control schools run by private agencies. If a school is well run, the school has nothing to fear from this Bill.

One hon. Member said that it would be like the sword of Damocles hanging over the management. I do not know why. If I am the manager of a school in Delhi and if I run my school well, if I pay my teachers properly, if I pay them regularly, if I do not dismiss them without any cause, if the rules of recruitment are proper, then I have nothing to fear from this Bill. It is only when I am guilty of any of the abuses which are mentioned in this Bill that I will be taken to task and, may be, my recognition would be taken away. Therefore, I want to assure the management in this city and the private agencies in this city that this Bill is not intended in any way to interfere with the running of schools.

The same hon. Member, Shri Patel, said that the best schools are the least administered; the less interference there is the better for the school. I agree; but this Bill is not intended to interfere with the running of the schools. I am a great believer in experimentation in education and I am a great believer in autonomy in education; but autonomy and experimentation does not mean not paying

salaries to teachers, dismissing them without cause, making wrong use of monies collected from students. That is not autonomy; that is not management. That is mismanagement. It is not the intention of this Bill that we will interfere with the ordinary running of secondary schools in this city.

With these general observations I would like to answer some of the criticism that has been made in some little detail. First turning to my hon. friend, Shri Anthony, who is not here and who drew my attention to certain clauses as offending the Constitution, we have carefully gone through the various provisions of the Constitution and also the judgement of the Supreme Court in the Kerala case and only with regard to clause 18—the taking over of the management—we felt that it offended against article 30 of the Constitution. Therefore, we are going to exclude the minority schools from that clause. But I am advised that as far as the other clauses of the Bill are concerned, they do not offend the provisions of the Constitution.

Shri Anthony spoke about the special aid that is given to Anglo-Indian schools. He forgets that article 337 which refers to special aid to Anglo-Indian schools had a duration only of ten years and that article is no longer applicable. So, now there is no distinction between an aided school and a school specially aided under the provisions of article 337. The Constitution provided that Anglo-Indian schools should receive special aid under certain conditions laid down under that article for a duration of ten years. That duration has passed and, therefore, no question can now arise as to any infringement of that article.

In this connection may I read passages from the judgement of the Supreme Court? It reads:—

"The minority cannot surely ask for aid or recognition for an educational institution run by them in unhealthy surroundings, without any competent teachers

[Shri M. C. Chagla]

possessing any semblance of qualification and which does not maintain even a fair standard of teaching."

"The learned Attorney General concedes reasonable regulation may certainly be imposed by the State as a condition for aid or even for recognition."

Therefore, it is open to use to impose reasonable regulations even on minority schools. As I said in my opening speech, article 30 concedes to a linguistic or religious minority the right to establish and administer educational institutions. But the right to manage does not mean the right to mismanage. The Constitution concedes the right to manage but some minorities seem to think that the right of management includes the right of mismanagement. The Supreme Court has sternly and, if I may say so, wisely rejected that argument and it has clearly laid down that it is open to the State—in this case the Central Government—to impose regulations even on minority schools as far as the management is concerned. Therefore, I submit that there is not much force in the arguments advanced by my friend, Mr. Anthony, and even so we will consider this point of view in the Select Committee.

Then, my friend, Mr. Warior, made a very eloquent speech. He said many things which pertain more to general education than to this Bill in particular. May I deal with one or two of his points? He made a very eloquent plea for science and technology. I am entirely with him. I think we have not attached sufficient importance to science and technology in our education and I assure him that we are doing our best to introduce science in secondary schools and to give it as much importance as possible. But he made rather an interesting observation that we must evolve a new language which emerges from factories and workshops.....

Shri Warior: For science and technology.

Shri M. C. Chagla: May I tell him this? Science and technology is international it is not regional; it is not national. Language assumes importance only in humanities, where you are dealing with the culture of a country, and the culture of a country is enshrined in its language. But when you are dealing with science and technology, the question of language does not arise. As I said, knowledge is international, universal, and equally so is science and technology. Therefore, I agree with him that we should evolve a common language as far as science and technology is concerned and I assure him that such a language is being evolved. We have set up a Commission—it is working on it—which deals with technical terminology with the intention that the whole of India should have a common terminology as far as scientific and technical matters are concerned.

He made another observation which I must strongly rebut and that is this. He said that there are scientists in this country but they cannot apply science and that they are scientists in the text-book sense, in the theoretical sense, in the laboratory sense. We have 27 laboratories in this country and they are intended for application of science. They deal with applied science and not with theoretical science. My hon. friend should know what important researches they have made which have been put to practical use. I have already circulated a brochure which I hope my hon. friend has seen as to the work done by our laboratories and how much foreign exchange we have saved. We have issued a directive that all our laboratories should be oriented for the purpose of defence, for the purpose of increasing food production and for making research in order to bring about import substitution and promotion of exports and already our laboratories have made researches which have helped defence in doing away with many articles which they used to import from outside. I say this emphatically because I will not

permit our young brilliant scientists who are working in all these laboratories being run down or not being fully appreciated.

Shri Warior: There is no intention of running down our brilliant scientists here. The spirit of the criticism is that we are not contributing even 5 per cent. to the entire scientific knowledge that the world has accumulated by this time. I took it out from a report on international science and its development. It is not my own finding; it is not my original thinking.

Shri M. C. Chagla: But that is not correct.

Shri Warior: You may contest that.

Shri M. C. Chagla: We have a large number of scientists who are invited to international gatherings and conferences to read papers and all that. After all, science is a very technical subject and very often a layman may not know about it. But I assure my hon. friend that international recognition is given to hundreds of our scientists and their reputation and achievement is not confined only to this country.

Then, my hon. friend also quoted a remark of the Educational Adviser to the Government of the United States, Mr. Clinton Williams:

"An outsider coming to the country is almost shocked to discover that secondary education has a classic bias and is not oriented towards economic and technical needs."

I plead guilty to the charge upto a point. This was a tradition that we got from the British. It was largely literary, largely classical and largely biased towards humanities. Now we are changing all that. We want our education to be production-oriented. When I was at school, I did not know the use of my hands. We were not supposed to use our hands. We did not know what we could do with our hands. But now we are changing all

this. Today we teach our boys to work with their hands, to realise the dignity of labour and to go out in the farms and do something and produce something. Therefore, my hon. friend need have no apprehension and I am sure if Mr. Clinton Williams comes back to India after 5 or 10 years, his observations will be different from what they were when he came here.

Another point that one of my friends made was: Why is the Ministry not making salary bills separate from contingency bills? I think we have provided sufficient safeguards in the Bill for the salaries of the teachers. In the first place, the aid which is given is the first charge for the salaries and, in the second place, the Director is given the power to make payment to the teachers themselves if a complaint is made to him that some teachers have not been paid.

Then, my hon. friend referred to Government schools and said that some of them were not good. There was a criticism by other hon. Members also with regard to Government secondary schools as contrasted with private secondary schools. In the first place, the Bill applies to all the schools. If a Government school is not properly run, if it is mismanaged, if it will come within the mischief of this Bill, proper action will be taken about it. There is going to be no discrimination whatsoever as far as the management is concerned as between a Government secondary school and a private secondary school.

My hon. friend gave an instance of one particular Government school—I must deal with that—where the teachers were not paid for a considerable time, that is, the Government Girls Higher Secondary School, Pandara Road. The fact is that there was a reference to delay in payment of salaries pertaining to September and October, 1964 in the Government Girls Higher Secondary School, Pandara Road.

[Shri M. C. Chagla]

When the complaint was brought to Education Ministry's notice, we had made enquiries and found that this delay was due to retention by the Principal of staff in excess of the sanctioned strength beyond 31st of August, 1964, the date upto which sanction existed. These teachers should have been surrendered on the 31st of August, 1964, for being posted in other schools where vacancies existed but the Principal failed to do this and ultimately the position was regularised by adjusting the excess teachers against vacancies in other schools. This adjustment resulted in delay and the salaries were paid in December, 1964. There was a delay of about two to three months. I can see it, but the reason was that excess staff was not surrendered. If staff is not sanctioned, then it is difficult to pay for the staff which is in excess of the staff already sanctioned. So this was the real reason why there was delay.

A great deal has been said about private schools producing better results than government schools. It is interesting to see the figures. In 1959 the percentage of passes in government schools was 54.4 as against 73.1 in private aided schools. I can see the difference. The standard in aided schools was much higher. But in 1965, we have brought up the standard of government schools from 54 to 72.7; the percentage of passes in aided schools in 1965 is 82.2. So there has been a marked improvement in instruction and the results.

May I give one or two reasons why aided schools produce better results than government schools? One is that most of these schools are selective and take students after a test—there is a special entrance examination; the rejected students are given seats in government schools because it is our duty to give secondary education to everybody. Very often, the

rejected students come to us and the selected ones go to private schools.

Regarding the question of charging fees for holding classes in summer, the practice of holding such classes is not permitted in government institutions. It may be that we may give free education; that is another matter. But as things stand today, we cannot take a student to pay special fees for study as many of the private schools do. Only 30 per cent of the private schools are better than government schools; the remaining are not so good.

Shri Warior: The reason for private schools giving better results is the more personal attention given there.

Shri M. C. Chagla: Secondly, most of the government schools are of recent origin and would naturally take some time to develop. As soon as there is a shortage, we have to start schools because government cannot tell the boys that they have no schools, that they cannot give secondary education. The private schools can turn the boys out but the Government has certain responsibility for secondary education in Delhi and that responsibility has to be discharged. Every year new schools are being opened and it naturally takes time for a new school to develop. That is as far as Mr. Warior is concerned.

Mr. Naval Prabhakar mentioned that the Director should consult the Advisory Committee before he recognises any school. That is a valuable suggestion and we shall certainly take it up in the Select Committee.

My friend, Mr. Balmiki, said that there should be no pressurization of private schools. I assure him that there is no attempt at pressurizing the private schools or the education given there or the management. As I said, and I repeat, a well-managed school has nothing to fear from the provisions of this Bill. A badly

managed school has everything to fear, and that is as it should be.

One hon. Member said that we must see to it that honest and liberal private agencies should survive and help our educational authorities and State authorities as far as secondary education is concerned. I entirely agree. I wish more and more honest and liberal private agencies will come forward and open secondary schools and they will get every assistance in the Union Territory of Delhi.

Attention was drawn to clause 11(2) and it was pointed out that it would act as a sword of Damocles and it should, therefore, be changed. I think that clause 11(2) is very important because it is a sort of charter for the teachers. The clause says:

'Subject to any rule that may be made in this behalf, no teacher of an aided school shall be dismissed, removed, reduced in rank or suspended, nor shall his services be otherwise terminated without the previous sanction in writing of the Director.'

If a proper case is made out for dismissal or suspension or removal, the director will give approval and the teacher will be dismissed. Shri Man Singh P. Patel said that if the management had no right to suspend a teacher then Government would be interfering with the autonomy of the school. I do not agree. If you unjustifiably suspend a teacher, or if you unjustifiably terminate his services I do not see how one would be interfering with the autonomy of the institution if one tried to safeguard the right of the teacher and give him security of tenure.

Then, objection was taken to the provision with regard to the removal of the manager. But the House will note that a manager can only be removed if he fails to comply with the provisions of clauses (6) (4) (b)

and (6) (4) (c) or wilfully maintains a false statement of accounts. Surely, you do not want to have a manager who does not keep proper accounts or if he keeps accounts keeps them wrongly or falsely. Therefore, it is only in specific cases that the power to remove the manager has been given to the director.

One hon. Member asked what the function of the board of secondary education was. The board of secondary education has been set up in order to hold examinations which are held for schools which are recognised by the board. The board prescribes the curriculum, satisfies itself that the school is properly equipped, gives recognition and holds examinations and issues certificates of passing when the students pass the examination. It is worth considering whether this board should be given more powers under this Bill. I shall consider it when the Bill comes before the Joint Committee.

Then, it was pointed out that the director would be an autocrat and some provision should be made with regard to appeals from his decision. In the Bill we have already provided for appeals under sub-clauses (2) and (6) of clause 3. But here again. I shall certainly scrutinise the provisions of the Bill carefully and see whether it is necessary to provide for appeals in more cases. I dislike autocrats whether they are in education or elsewhere, and certainly if it is possible to safeguard certain rights by providing for appeals against a decision of the director, we shall do so in the Joint Committee.

It was also pointed out—it is a valuable suggestion—that more powers should be given to the Advisory Committee, that it should not only advise the Director but also advise the Central Government which lays down policies. This is also a suggestion worth considering. We will consider it in the Joint Committee.

[Shri M. C. Chagla]

I do not want to go into any more details. The Bill is going to a Joint Committee. . . .

Shri Bade (Khargone): There is one difficulty. It is here in Delhi also. Clause 3(f) says that if a school is named after a sect or caste, it shall not be recognised. Now the schools which are now run under a caste or sect name will not be aided if there is transgression of that provision. There are already so many schools running under a caste or sect name—Khalsa schools and so on. So submission is that this provision should not have retrospective effect.

Shri M. C. Chagla: I am glad the hon. Member has raised this point. A school may be named after a sect; yet it may throw open its doors to everybody. A school may not be named after a sect but it may be very regional or parochial. Shri Chaturvedi has given notice of an amendment—which I like very much—that instead of disqualifying a school named after a sect or caste, we should disqualify schools which discriminate in admission either in the case of students or in the case of teachers. That seems to me to be a better provision. I will certainly bear in mind in the Joint Committee what my hon. friend has said.

I have nothing more to add. I again thank the House for the very valuable and useful debate we have had. We will bear in mind all the suggestions made in the course of the debate.

Mr. Chairman: There are some some amendments. I will first put amendment No. 58 by Shri Naval Prabhakar making some amendments to his amendment No. 57, to the vote of the House.

The question is:

"That in the amendment moved by Shri Naval Prabhakar, printed as No. 57 in List No. 7 of

amendments, for reference of the Bill to a Joint Committee—

for "by the 8th February, 1966" substitute

"by the first day of the next session". (58)

The motion was adopted

Mr. Chairman: Now I shall put amendment No. 57, as amended by amendment No. 58, to the vote of the House.

The question is:

"That the Bill to provide for better organisation and development of secondary education in the Union territory of Delhi, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 45 members, 30 from this House, namely:

Shrimati Renuka Devi Barkataki; Shri A. E. T. Barrow; Shri Parashottamdas Haribhai Bheel; Chodhury Brahm Perakash Shri S. N. Chaturvedi; Shri Vijaysinhrao Ramrao Daffe; Shri Sudhansu Bhusan Das; Shri Gokaran Prasad; Shri Shiv Charan Gupta; Shri Hem Barua; Shri Krishnan Manoharan; Shri Rama Chandra Mollik; Shri Yamuna Prasad Mondal; Shri Mali Marivanna; Shri P. Muthiah; Shri P. K. Vasudevan Nair; Shri S. Osman Ali Khan; Shri Rananiava Singh; Shri Shivram Rango Rane; Shri Ratan Lal; Shrimati Jayaben Shah; Shri Diwan Chand Sharma; Shri T. H. Sonavane; Dr. (Mrs.) T. S. Soundaram Ramchandran; Shri G. G. Swell; Shri Kirshna Deo Tripathi; Shri Tula Ram; Shrimati Vijaya Raje; Shri Vishram Prasad; and Shri Naval Prabhakar;

and 15 from Rajya Sabha;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next Session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 15 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee." (57 as amended).

The motion was adopted.

Mr. Chairman: All the other amendments are barred.

16:34 hrs.

RESOLUTION RE. INDIAN COCONUT COMMITTEE AND INDIAN CENTRAL OILSEEDS COMMITTEE— contd.

Mr. Chairman: Further discussion of the Resolutions regarding dissolution of the Indian Coconut Committee and the Indian Central Oilseeds Committee, moved by Shri C. Subramaniam on 19th November, 1965.

Shri Warior (Trichur): I have only a very few observations to make. The first is that coconut is not only an industrial commodity but also a consumer commodity. Coconut prices are going up almost abnormally. The Forward Markets Commission has come down on the trade and placed a ceiling on prices. The main reason for the increase in prices is the fall in production especially in Kerala where we produce coconuts.

Mr. Chairman: Two hours were allotted, and we have exhausted one hour and 20 minutes. Now only 40 minutes are left.

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): No, you have to increase the time at least by two hours. There are

so many Members standing up who want to speak.

Mr. Chairman: What is the sense of the House?

Shri Warior: At least by one hour it should be extended. That discretion rests with the Chair.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): This is very important, coconut and oilseeds both.

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): Anyhow, the discussion will not be over today, even with the time allotted. The discussion can go on today, and tomorrow we shall decide whether it should be extended or not.

Mr. Chairman: Let us see how the discussion proceeds, and we will fix the time tomorrow.

Shri Warior: The fall in production was the result of long-standing diseases of the trees. For the last 80 years these diseases have been spreading, and we know as a matter of fact that regions after regions are now becoming affected with these diseases. About 40,000 acres of coconut plantations are affected in this way.

There are many kinds of diseases also. Some are on the branches of the trees, some are at the root. We had been incessantly asking Government to see whether there was some new chemical method to root out especially these root diseases, but nothing has come out effectively.

Then there are certain items which are also taken up by the Coconut Committee which are essential. It is not only research. Of course, they run two or three research stations, they are important in their own way, and these research stations must be expanded, their activities must be developed by the experience gained not only there but outside in the coconut-growing countries like Malaya and Philippines.